[TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, EXTRAORDINARY, PART II, SECTION 3, SUB-SECTION (i) OF DATED 12th SEPTEMBER, 2012]

GOVERNMENT OF INDIA MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY [DEPARTMENT OF COMMERCE]

NOTIFICATION

CORRIGENDUM

NEW DELHI, THE 12th SEPTEMBER, 2012

G.S.R-----(E).--- In the notification of the Government of India in the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) number G.S.R.381(E) dated the 24th May, 2012, published in the Gazette of India Extraordinary, Part – II, Section 3, sub-section(i) dated the 24th May, 2012, in English version, at page 18, in line 7, for "casual" read "causal".

[F.No.01/92/180/106/AM11/PC-VI/PRA]

(ANUP K. PUJARI)
Director General of Foreign Trade
e-mail:dgft@nic.in



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग IL-वण्ड 3-उप-वण्ड (ii) PART II-Section 3-Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ti. 804] No. 804] नई विस्ती, गुक्रवार, विसम्बर 31, 1993/पौच 10, 1915 NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 31, 1993/PAUSA 10, 1915

षाणिज्य मंत्रालय

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

द्यादेश

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का०भा० 1056 (म्र).--केन्द्रीय सरकार, विवेश व्यापार (विकास और विनियमन) भ्रधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 4 के साथ पठित धारा 3 द्वारा प्रवत्त णिननयों का प्रयोग करते हुए और भ्रायात (नियंत्रण) भ्रावेश, 1955 तथा नियीत (नियंत्रण) भ्रावेश, 1988 को उन बातों के सियाय भ्रधिकात करने हुए जिन्हें ऐसे भ्रधिकमण से पूर्व किया गया है या करने का लीप किया गया है, निम्नलिखित भ्रावेश करती है, भ्रथीत्:--

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ :--
- (1) इस प्रादेश का संक्षिप्त नाम विवेश व्यापार (क्रियम मामनीं में नियमों के लागू होने से छूट) प्रादेश, 1993 है।
 - (2) यह राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख को प्रशृक्त होगा।
 - 2. परिभाषाएं.---

इस आदेश में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न ही ---

(क) "प्रधिनियम" से विदेण स्थापार (जिकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1992 (1992 का 22) प्रभिन्नेत है;

- (ख) "प्रायात ज्यापार विनिधमन" से प्रधिनियम तथा उसके प्रधीत बनाए गए नियम और किए गए प्रादेश तथा निर्यात और प्रायात नीति यिश्रित है,
- (ग) "नियम" से विदेश अपातार (विनियमन), नियम 1993 प्रसिप्नेत है;
- (प) उन णब्दों और पत्नो का, जो इस आदेण में प्रमुक्त हैं और परिभाषित नही है किन्तु आदेतियन से परिभाषित है, धही अर्थ होंगे जो अधिनियम में है।
 - 3 नियमो के लागृ होने से छुट:----
- (I) नियमो की कोई बात निम्नलिखित किन्हीं माल के ग्रायात की लाग नहीं होगी.--
- (कः) रक्षा प्रयोजनो के लिए केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व वाले और उसके द्वारा नियंज्ञित अभिकरणों, उपकम द्वारा;
- (ख) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य मरकार, कानूनी निगम, लोक निकाय या पूर्ति मवालय के क्रय सगठनों के प्रभिक्षरण के माध्यम से मपुक्त स्टाप कंपनी के रूप में चल रहे सरकारी उपक्रम, प्रार्थात्, इंडिया सप्लाई मिशन, लंदन और इंडिया सप्लाई मिशन, वाशिगटन ढारा;
- (ग) केन्द्रीय सरकार, किसी राज्य सरकार या किसी कानूनी निगम या लोक निकाय या लयुक्त स्टाक कपनी के रूप मे चल रहे सरकारी उपकम द्वारा, जिसकी बाबत भ्राउंर महानिदेशालय, पूर्ति और निपटान, नई दिल्ली के माध्यम से दिल भने हैं;

3020 GI/93

- (घ) पौतांतरण द्वारा या पहुंचने पर पुनः निर्यात के लिए प्रायातित और बंधित माल, जिन्हें नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर किसी वेण को सामान पोत से भेजा जाता है या पूर्वोक्त रूप में पहुंचने पर पुनः निर्यात के लिए प्रायातित और बंधित माल किन्तु बाद में भारत मे राजनयिक कार्मिक, कौंमलीय ग्राफिसरों तथा संयुक्त राष्ट्र संगठन और उसके विशिष्ट ग्राफिकरणों के पदधारियों के, जो क्रमणः भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की ग्राधिसूचना सं० 3, तारीख 8 जनवरी, 1957 और संयुक्त राष्ट्र (विशेषाधिकार और उन्मुक्तिरां) ग्राधिनियम, 1947 (1947 का 46) के ग्राधीन मुक्त के संदाय से छूट प्राप्त है, उपयोग के लिए निर्मुक्त किया जाता है;
- (ङ) भ्रायातित और बंधित माल, जो पहुंचने पर भ्रनुमोदित मुल्क-मृक्त दुकानों पर, चाहे बाहर जाने या बाहर से भ्राते वाने यात्रियों के लिए, निःमुल्क विदेशी मुद्रा में सवाय मद्रो विकय के लिए हैं;
- (च) को भारत के माध्यम से डाक द्वारा या धन्यथा प्रभिवहन में हैं या जिन्हें नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर किसी गंतक्य स्थान को डाक द्वारा या धन्यथा पुनः भेजा जाता है, परंतु यह तब जबिल भारत में रहने के दौरान ऐसे माल सदैव डाक या सीमा-णुल्क प्राधिकारियों की धाभिरक्षा में हों;
- (छ) भारत के पार अक्रमानिस्तान के तिए वायु मार्ग द्वारा या नेपाल और भूटान को छोड़ कर भारत के बाहर किसी ग्रन्य देश के लिए भूमि मार्ग द्वारा, मुक्क से छूट के लिए या पूर्णनः या भागतः मुल्क के प्रतिसंदाय के लिए वादा के ग्रधीन पारेषण के लिए;

परन्तु यह तब जबिक ऐसे माल का मरकार या भारत की मीमा बाले किसी देश द्वारा या उसकी और से आयान किया जाता है या आयातकर्ता किसी विनिदिष्ट भविंध के भीतर यह साक्ष्य प्रस्तुत करने का कि ऐसे माल भारत की सीमाओं के पार खले गए हैं या उसके व्यक्तिका में ऐसी शास्ति का संदाय करने का, जो सीमाशृक्क का समृजित श्रिकारी ऐसे माल पर श्रिधरोपित करना ठीक समझे, बजन देता है;

परन्तु यह और कि इस मद की किसी बात से किमी माल को भायात व्यापार विनियमों से छट नहीं होगी;

(ज) पांच सौ टिकियों या ½ पौंड चूर्ण या एक सौ संपुटकों से अधिक कुनैन को छोड़कर, यात्री सामान के रूप में व्यक्ति द्वारा उस परिमाण तक जो तत्ममय प्रवृत्त सामान नियमों के अधीन अनुद्वेय हैं:

परन्तु किसी पर्यटक द्वारा आयात की देशा में, श्रति मूल्य की वस्तुएं, जिनका पुनः निर्यात पर्यटक सामान नियम, 1978 के नियम 7 के अधीन बाध्यकर है, उसके भारत छोड़ने पर पुनः निर्यात की जाएंगी, जिसके नहोते पर ऐपे माल को ऐथे माल सबसे जाएंगे जिनका आयात सीमा- गुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन प्रतिपिद्ध किया गया है:

परन्तु यह और कि किसी भी का में स्वर्ण का, जिसके मन्तर्गत जैवर भी हैं (किन्तु जिसके भन्तर्गत रत्नों या मोतियों से जड़े जैवर नहीं हैं) भाषान भारतीय मूल के यात्रियों या पामगोर्ट मिलिनिया, 1967 (1967 का 15) के भवीन जारी किए गए विजिनान्य पामपोर्ट धारण करने वाले यात्री द्वारा मामान के भागरूप में, निम्नलिखिन भारों के स्थीन रहते हुए, मनुकात किया जाएगा, मर्थात् :---

- (क) स्वर्ण का श्रापान करने जाना यात्री विदेश में जम से कम छह माम की अवधि सक रूजने के पश्चात् भारन में श्रा रहा हो;
- (ख) प्रायानित स्वर्ण की माला प्रति यात्री पांच किलोग्राम से प्रधिक नहीं होती;
- (ग) स्वर्ण पर भाषात शुरूक सपरिवर्तनीय विवेशी करेंसी में सदस्त किया जाएगा; और
 - (च) ऐसे प्रायातित स्वर्ण के विकय पर कोई निबन्धन नहीं होगा।

- (श) प्रपने वैयक्तिक उपयोग लिए डाक के माध्यम से या ध्रन्यवा किसी व्यक्ति द्वारा या ध्रपने उपयोग के लिए किमी संस्था या ध्रस्पताच द्वारा, सिवाय निम्नाविश्वन के:
 - (क) बजन में एक पौड़ से भ्रधिक बनस्पति बीज;
 - (ख) मधुकर;
 - (ग) चाय;
 - (घ) पुस्तकों पित्रकाएं, जर्नेल और साहित्य, जो तत्समय प्रकृत्त नीति के स्रवीन स्राधात फिए जाने के लिए धनुतात नहीं है;
 - (क) ऐसे माल, जिनका भ्रायान नीति के मधीन व्यवस्थित किया जाता है;
 - (च) मद्यमारिक पेय;
 - (छ) धननवामुद्ध और गोलाबारूव;
 - (ग) उपभोक्ता इनेक्ट्रानिक मर्दे (श्रयण-महाय और प्राणरक्षक उपस्कर, यंत्र और माधित तथा उसके पूर्जी को छोइकर);

परन्तु किसी एक समय में यथापूर्वीक्त आयःतिन काल का लागत बीमा भागा मूर्य दो हजार दपये से अधिक नहीं होगा।

- (झ) राजनियक कार्मिक, कोंस्त्रीय ग्राफिसरों और भारत में ब्यापार ग्रामुक्तों द्वारा या उनकी ओर से, जिन्हें भारत सरकार के विक्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की भ्रष्टिषूचना सं० 3, तारीख 8 जनवरी, 1957 के ग्रवीन सीमा-मुल्क के संदाय से छूट प्राप्त है;
- (ञा) किसी भी ऐसे देश से, जिसे सीसा-गुल्क प्रधितियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 20 के प्रधीन या भारत सरकार के विस्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की प्रधिस्वना सं० 113, तारीख 16 मई, 1957, सं० 103, तारीख 25 मार्च, 1958, सं० 260 और सं० 261, तारीख 11 प्रक्तूबर, 1958, सं० 269, गं० 271, सं० 273, सं० 274, सं० 275 और सं० 276, तारीख 25 प्रक्तूबर, 1958 और सं० 204, तारीख 2 प्रगस्त, 1976 के प्रयवा भारत सरकार के विश्व मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की प्रधिस्वना मं० 174, तारीख 24 स्तिन्बर, 1966 या प्रधिस्वना सं० 103, तारीख 16 मई, 1978, या प्रधिस्वना सं० 80, तारीख 29 प्रगस्त, 1970 के प्रधीन पुनः प्राथात किए जाने पर सीका-गुल्क से छूट प्राप्त है;
- (ट) भारतीय वितिर्भाण के माल और ऐसे माल के विदेश निर्मित पूर्जे, बिनिर्भाता द्वारा निर्यातित और परेषितो से मरम्मत तथा पुनःनिर्यास करने के लिये वापस लिये गये मालः

परन्तु यह तब जब कि---

- (i) मीमा शुल्क प्राधिकारियों का यह समाबान हो जाते. कि उक्त विनिर्शाताओं द्वारा वापस लिये गये माल वही हैं जो इस प्रकार निर्यात किये गये थे: और
- (ii) सीमा-मुल्क प्रधिसूचना सं. 132, तारीख 8 सितम्बर, 1961 के प्रधीन पुनः प्रायात किये जाने पर सीमा-मुल्क से छूट प्राप्त माल से जिल्ल माल की व्या में, प्रायातकर्ता द्वारा नंदंधित पलन पर सीमा-मुल्क प्राधित री के पास इस प्राणय का एक बंधपत्र निष्पादित किया जाता है कि इस प्रकार प्रायातित माल की मरम्मत के पश्चात् छह मास के पीक्षर पुन: निर्यात किया जायेगा;
- (ठ) मंयुक्त राष्ट्र संगठन और उसके विभिष्ट प्रधिकरणों के पदवारियों द्वारा, जिन्हें मंयुक्त राष्ट्र (विभेषाधिकार और उन्मुक्तियां) प्रधिनियम, 1947 (1947 का 46) के प्रधीन सीमा-णुक्क के संबंध से छूट प्राप्त है;
- (इ) फोर्ड प्रनिष्ठान द्वारा, क्रिक्से भारन सरकार और फोर्ड प्रतिष्ठान केबीच हुए करार के ध्रधीन सीमा-शुन्क के मंदाय से छूट प्राप्त है;

(ह) प्राइवेट सड़क यान प्रस्थाई प्रायास सीमा-शूल्क प्रक्षिसमय के धनुष्ठिय 1 में यथापित्याधिन यान या उक्त प्रभिसमय के धनुष्ठिय 4 में निर्विष्ट उसके सघटक पूर्जे होने के कारण, जिन्हें भारत सरकार के वित्त ग्रहालय (राजस्व विभाग) की प्रधिमूचना स. 296, तारीव्य 2 प्रगस्त, 1976 के प्रधीन मीमा-शूल्क के सवाय से छूट प्राप्त है '

परन्तु यह भव व्यव कि--

- (1) ऐसे यान या सघटक पुर्जे उक्त प्रधिमृचना में विनिर्विष्ट प्रविध के भीतर या ऐसी और प्रविध के भीतर जो भीमा-गुक्त प्रधिकारी प्रनृज्ञान करे, पुन निर्यात किये जाते हैं,
- (2) ऐसे यान या सघटक पूर्जी के सक्षय में उक्त प्रधिमूचना केया 'ट्रिन्टिक' या कार्नेल-डे-पैसेज' ग्रनुकापन्न के उपबधो का उल्लंघन महीं किया जाता है

परन्तु यह और कि इस मद की कियी बाय से माल के श्रायात को प्रभावित करने बाले कियी अन्य प्रतियेश या यिनियम के, जो ऐसे माल के ग्रायास किये जाने के समय प्रवृत्त हो, उक्त यानाया सम्रटक युर्जी को लागू किये जाने पर प्रतिकृत प्रभाव महीं पडेगा,

(ण) ऐसे माल होते के कारण, जो धम्यायी रूप से मेलो, प्रवर्शनिया या भारत सरकार के वित्त गवालय (रागस्व विभाग)की प्रधिमूचना स 157/90, सीमाणुरूक, तारीख 28 मार्च, 1990 की ध्रुनुमूची 1 में विनिद्धित समक्षा घटित व्यापागे में प्रवर्शित या उपयोग करने के लिये 30 जुलाई, 1963 का खुसेल्स में किये गय माल के घस्थायी प्रवेश (एटी ए कन्वेशन) के लिये एटी एकानेंटम सीमा-जुल्क अभिन्नय के प्रवीत एटी एकार्नेटस मर्वे प्रायात किये जाते हैं

परन्तु यह सब जब कि--

- (1) एसे माल का, निकासी या ऐसी बढाई गई बयछि का जा कन्द्रीय सरकार प्रत्येक मामले में धनुद्वाल करे, तारीख से छह मास की अवधि के भीतर, निर्याण किया जाना है, और
- (2) उक्त प्रश्चित्वना या एटी ए करनेशन के उन्धरधो का उल्लंघन नहीं किया जाता है:

परन्तु यह और कि इस मर्वकी किसी बात से माल के प्रायात को प्रभावित करने वाले किसी प्रस्थ प्रतियेध या विनियम के जो ऐसे माल का अध्यात करों के समय प्रवृत्त हो, उक्त माल को लागू किय जाने पर प्रसिक्तून प्रभाव नहीं पड़ेता।

- (त) नेनाल की हिंग गिस्टी की सरकार द्वारा जारी की गई मायात प्राद्धालि के प्रस्कांत प्राने वाले माल और प्रायातकर्ता सीमा गुन्क के नार्जित प्रधिकारी को ऐसे प्रधिकारी द्वारा विहित प्ररूप किसी प्रतुप्तित बैंक में प्रिम् के रूप में इस प्रधाय का एक बखपन्न देता है कि वह गुल्क का नंवाय करेगा और सपूर्ण माल या उसके किसी ऐसे भाग को बाबन, जिसके बारे में यह साबिन नहीं हुमा है कि वह नेनाल के राज्यक्षेत्र में गया हैं, प्रायान व्यापार नियन्नण विनियम का उल्लेखन करने के लिये प्रधिरोपित शास्ति का संदाय करेगा;
- (थ) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मरम्मत और विदेश में भारतीय दूनावासों को या किसी विदेश में केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के किसी ग्रन्य कार्यात्रय को पुन निर्यात करने के लिये भारतीय विनिर्माण के या माल,
 - (द) भारतीय खाद्य निगम द्वारा, खाद्यान्न होने के कारण

परन्तु यह तथ जब कि निकासी के समय इन श्राशय की एक घोषणा कि प्रकारच श्रायात का केन्द्रीय सरकार द्वारा ध्रनुमोदन किया गया है, श्रायातकों द्वारा सोमा शुर्प प्राधिकारियों को दी जाती है,

- (ध) खाद्य की वस्तुएं और खाद्यसामग्री होने के कारण, जिस का प्रदाय संयुक्त राष्ट्र संगठन द्वारा प्रदुमोदिन ग्रानिकरणी द्वारा दान के रूप मे मुक्त किया जाता है और जो भारत सरकार के विन मलालय (राजस्य विभाग) की ग्राधिमूचना स सा का.नि 766, तारीख 21 जून, 1975 के ग्राधीन सीमा-मुल्क के संवाय से छूट प्राप्त हैं।
- (2) इन नियमों को काई बात निम्नलिखिन माल को लागू नहीं हीगी ---
 - (क) कन्द्रीय मरकार द्वारा या उसके प्राधिकार के प्रधीन निर्योतित कोई माल,
 - (ख) किसी बाहर जाने याले जलयान या प्रवहण के सामान या उपस्कर केरूप में खाद्य पदारं में भिन्न कोई मास्त,
 - (ग) भारत के बाहर जाने वाने किसी व्यक्ति के वास्ताविक वैयक्तिक सामान के रूप में काई माल, (जिनके अतर्गत किसी जलयान या प्रवहण में का कोई यात्रा या किसा दल का संवस्य भी है).

परन्तु वन्य जोव (मृत, जीवित या उशका भाग या उसका उत्पाद) ऐसे वैयक्तिक सामान के≪ में नहां माना जायेगा⊸

- (घ) डाक प्राधिकारियां द्वारा जारा की गई टाक सूचना में विनिधिष्ट शर्मा के श्रधान डाक द्वारा या यायुपान द्वारा निर्वातित कोई माल ,
- (इ) भारत में किसी पत्तन पर, भारत के बाहर के किसी पत्तन से भेजने के समय ऐसे पोतान्तरण के लिये ग्राभिष्यक्त किये जाने के पण्चात् पोर्क्षातरित कोई माल:
- (च) भारत में पहुंचने पर नेपाल और भूटान को छोड़कर भारत के बाहर किसी देश को पुन निर्यात करने के लिये श्रायानिस और बंधित माल ,
- (छ) भारत के माध्यम से डाक ग्राग अभिग्रहन में कोई मान या डाक द्वारा नेपाल और भूटान को छोडकर भारत के बाहर किसी गलव्य स्थान के लिये पुन भेजे गये कोई माल,

परम्तु यह तत्र जब कि भारत में रहने के दौरात ऐसे माल सर्देव डाक प्राधिकारियों की प्रसिरक्षा में हो ,

- (ज) किसी विधिमान्य भाषात भ्रनुत्रस्ति के ब्रिना भाषात किसे गये और समुचित सीमा-शुल्क अधिकारी द्वारा ऐसे माल के निर्धात के चिये किये गये भ्रादेश के श्रनुसार निर्यातित कोई माल:
- (अ) क्विगंभीय करार के भन्तर्गत माने वाले टैक्सटाइल मदो को छोडकर, मबधित मुक्त व्यापार जोनो और णतप्रतिशत निर्यात उन्मुख एकको मे विनिर्मित होने के लिये भनुमोदित और उनस निर्यातित उत्पाद, जिन्हे वार्षिक व्यापार प्रोटोकाल के भ्रधान रुपया संदाय करने वाले देशों को निर्यात किया जाता है और भारतीय रुपयो मे सदाय महे रुपया सदाय करने वाले पूर्वयर्ती देशों को निर्यात किया जाता है,

परन्तु निर्पात उल्मुख एकको या निर्पात प्रसस्करण जोन एकक सबधी प्रनुमोदन की बोर्ड द्वारा प्रधिरोधित सर्ते ऐसे किसी एकक पर भावदकर होगी.

(ञा) ब्लड ग्रुप ओ एच (मुबई फोनोटाइप) का निर्यात, जिसका भ्राभिप्राय मानवीय म्राधारो पर प्राणग्थक उपाय के रूप मे निदेशक, नेशनस्र ब्लड ग्रुप रेफरेन्स लेबोरेट्री, मुबई द्वारा, उसके द्वारा प्रत्येक सामले में इस ग्राग्य के जारी किए गए विनिर्विष्ट प्रमाणपत्न के ग्राधार पर, वैज्ञानिक भ्रमुसंधान या ग्रापात चिकिस्सा उपचार के लिए हैं,

(ट) स्नेड्क तेल, सयोज्य, स्यूब तेल, कच्चा सेल और प्रन्य संबंधित पेट्रोलियम उत्पादो और कच्ची सामग्रियों के, जिनका उपयाग स्पृत्रीजील्य इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेणन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेणन लिमिटेड और भारत पेट्रोलियम कारपोरेणन लिमिटेड द्वारा त्यूब स्याउप वितिधित घरने के लिए किया जाता है, नमूनों का भारत में उनक सस्थापन से सयुक्त राज्य अभैरिका और युनाइटेड किगडम म मूल्याकन और परीक्षण प्रयोजनों के लिए स्यूबीजोल के प्रयोगशालाओं को निर्यात ।

[फाइल स. 21/11/92→ -एन. एस.]

 श्री. एल. सजीवरेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन प्रपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE (Director General of Foreign Trade) ORDER

New Delhi, the 31st December, 1993

- S.O. 1056(E).—In exercise of the powers conferred by section 3, read with section 4, of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992) and in supersession of the Imports (Control) Order, 1955 and the Exports (Control) Order, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following Order, namely:—
 - 1. Short title and commencement.-
 - (1) This Order may be called the Foreign Trade (Exemption from application of Rules in certain cases) Order, 1993.
 - (2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.
 - 2. Definitions.—

In this Order, unless the context otherwise requires:—

- (a) "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);
- (b) "Import Trade Regulations" means the Act and the rules and order made thereunder and the export and import policy;
- (c) "Rules" means the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993;
- (d) Words and expressions used in this Order and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Exemption from the application of rules -
- (1) Nothing contained in the Rules shall apply to the import of any goods.—
 - (a) by the Central Government or agencies, undertakings owned and controlled by the Central Government for Defence purposes;
 - (b) by the Central Government or any State Government Statutory Corporation, public body or Government Undertaking run as a Joint Stock Company through the agency of the Purchase Organisations of the Ministry of Supply, that is India Supply Mission, London and India Supply Mission, Washington;

- (c) by the Central Government, any State Government or any statutory corporation or public body or Government undertaking run as a Joint Stock Company, orders in respect of which are placed through the Directorate General, Supplies and Disposals, New Delhi;
- (d) by transhipment or imported and bonded on arrival for re-export as ships stores to any country outside India except Nepal and Bhutan or imported and bonded on arrival for re-export as aforesaid but subsequently released for use of Diplomatic personnel, Consular Officers in India and the officials of the United Nations Organisation and its specialised agencies who are exempt from payment of duty under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 3 dated 8th January, 1957 and the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947) respectively;
- (e) imported and bonded on arrival for sale at approved duty-free shops, whether to outgoing or incoming passengers, against payments in free foreign exchange;
- (f) which are in transit through India by post or otherwise, or are redirected by post or otherwise to a destination outside India, except Nepal and Bhutan provided that such goods while in India are always in the custody of the postal or customs authorities;
- (g) for transmission across India by air to Afghanistan or by land, to any other country outside India, except Nepal and Bhutan under claim for exemption from duty or for refund of duty either in whole or in part:
 - Provided that such goods are imported by or on behalf of the Government or a country bordering on India or that the importer undertakes to produce within a specified period evidence that such goods have crossed the borders of India or in default to pay such penalty as the proper officer of customs may deem fit to impose on such goods;
 - Provided further that nothing contained in this item will exempt any goods from the Import Trade Regulations;
- (h) by the person as passenger baggage to the extent admissible under the Baggage Rules for the time being in force except quinine exceeding five hundred tablets or 1/3 lb powder or one hundred ampoules:
 - Provided that in the case of imports by a tourist, articles of high value whose reexport is obligatory under rule 7 of the Tourist Baggage Rules, 1978 shall be reexported on his leaving India, failing which such goods shall be deemed to be goods of which the import has been prohibited under the Customs Act, 1962 (52 of 1962);

- Provided further that the import of gold in any form including ornaments (but excluding ornaments studded with stones or pearls) will be allowed as part of baggage by passengers of Indian origin or a passenger holding a valid passport issued under the Passports Act, 1967 (15 of 1967) subject to the following cond tions namely:—
 - (a) that the passenger importing the gold is coming to India after a period of not less than six months of stay abroad;
 - (b) the quantity of gold imported shall not exceed 5 Kilograms per passenger;
 - (c) import duty on gold shall be paid in convertible foreign currency; and
 - (d) there will be no restriction on sale of such imported gold.
- (i) by any person through the post or otherwise for his personal use, or by any institution or hospital for its use except --
 - (a) vegetable seeds exceeding one lb. in weight;
 - (b) bees;
 - (c) tea;
 - (d) books, magazines, journals and literature which are not allowed to be imported under the Policy for the time being in force;
 - (e) goods, the import of which is canalised under the Policy;
 - (f) alcoholic beverages;
 - (g) fire arms and ammunition;
 - (h) consumer electronic items (except hearing aids and life saving equipments, apparatus and appliances and parts thereof):
 - Provided that the c.i.f. value of goods imported as aforesaid at any one time shall not exceed rupees two thousand.
- (j) by or on behalf of Diplomatic personnel, consular officers and Trade Commissioners in India who are exempted from payment of Customs duty under Notification No. 3 dated the 8th January, 1957 of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue);
- (k) from any country, which are exempted from Customs duty on re-importation under section 20 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962) or under Customs Notification Nos. 113 dated 16th May, 1957, 103 dated 25th March, 1958, 260 and 261 dated 11th October, 1958, 269, 271, 273, 274, 275 and 276 dated 25th October, 1958 and 204 dated 2nd August, 1976, of the Government of India, Ministry of Finance (Department of Revenue), or Notification No. 174 dated the 24th September, 1966 or Notification No. 103 dated the 16th May, 1978, of the Government of India,

- Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) or Notification No. 80 dated 29th August, 1970;
- (1) of Indian manufacture and foreign made parts of such goods, exported and received back by the manufacturer from the consignee for repair and re-export:

Provided that --

- (i) the customs authorities are satisfied that the goods received back by the said manufacturers are the same which were so exported; and
- (ii) in the case of goods other than those exempted from customs duty on reimportation under Customs Notification No. 132 dated 9th December, 1961, a bond is executed by the importer with the customs authority at the port concerned to the effect that the goods thus imported will be reexported after repair within six months;
- (m) by officials of the United Nations Organisation and its specialised agencies who are exempted from payment of Customs duty under the United Nations (Privileges and Immunities) Act, 1947 (46 of 1947);
- (n) by the Ford Foundation who are exempt from payment of Customs duty under an Agreement entered into between the Government of India and the Ford Foundation;
- (o) being vehicles as defined in Article I of the Customs Convention on the Temporary Importation of Private Road Vehicles or the component parts thereof referred to in Article 4 of the said Convention and which are exempted from payment of customs duty under the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 296 dated the 2nd August, 1976:

Provided that—

- (i) such vehicles or component parts are reexported within the period specified in the said notification or within such further period as the customs authorities may allow;
- (ii) the provisions of the said notification or of the "triptyque or Carnel-De-Passage" permit are not contravened in relation to such vehicle or component parts;
- Provided further that nothing contained in this item shall prejudice the application to the said vehicles or component parts of any other prohibition or regulation affecting the import of goods that may be in force at the time of import of such goods;
- (p) being goods imported temporarily for display or use in fairs, exhibitions or similar events specified in Schedule I to the notification of the Government of India in the

Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 157|90|CUSTOMS, dated the 28th March, 1990 against ATA Carnets under the Customs Convention on the ATA Carnets for temporary admission of goods (ATA Convention) done at Brussels on the 30th July, 1963;

Provided that.--

- (i) such goods are exported within a period of six months from the date of clearance or such extended period as the Central Government may allow in each case; and
- (ii) the provisions of the said notification or of the ATA convention are not contravened:
- Provided further that nothing contained in this item shall prejudice the application to the said goods of any other prohibition or regulation affecting the import of goods that may be in force at the time of import of such goods;
- (q) covered by an import licence issued by His Majesty's Government of Nepal and the importer furnishes a bond to the proper officer of customs in the form prescribed by such officer with a Scheduled Bank as surety to the effect that he shall pay the duty and pay penalty imposed for contravening Import Trade Regulations in respect of the whole or any portion of the goods which is not proved to have entered the territory of Nepal;
- (r) of Indian manufacture or by the Central Government or any State Government for repair and re-export to Indian Embassies abroad or to any other office of the Central Government or State Government in a foreign country;
- (s) being foodgrains, by Food Corporation of India:
 - Provided that at the time of clearance, a declaration to the effect that the import in question has been approved by the Central Government, is furnished by the importer to the Customs authorities;
- (t) being articles of food and edible material, which are supplied as free gift by the agencies approved by the United Nations Organisation and which are exempted from payment of customs duty under the Notification of Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. GSR 766, dated 21st June, 1975.
- (2) Nothing contained in the Rules shall apply to—
 - (a) any goods exported by or under the authority of the Central Government;
 - (b) any goods other than food-stuffs constituting the stores or equipment of any outgoing vessel or conveyance;
 - (c) any goods constituting the bona fide personal baggage of any person, including a pas-

- senger or member of a crew in any vessel or conveyance, going out of India:
- Provided that the Wild Life (dead, alive or part thereof or produce therefrom) shall not be treated as part of such personal baggage;
- (d) any goods exported by post or by air under the conditions specified in postal notice issued by the Postal Authorities;
- (e) any goods transhipped at a port in India after having been manifested for such transhipment at the time of despatch from a port outside India;
- (f) any goods imported and bonded on arrival in India for re-export to any country outside India, except Nepal and Bhutan;
- (g) any goods in transit through India by post or any goods re-directed by post to a destination outside India except Nepal and Bhutan:
 - Provided that such goods while in India are always in the custody of the postal authorities;
- (h) any goods imported without a valid import licence and exported in accordance with an order for the export of such goods made by the proper officer of Customs;
- (i) products approved for manufacture in and export from the respective Free Trade Zones/Export Processing Zones and 100 per cent Export Oriented Units except textile item covered by bilateral agreements, exports to Rupee Payment Countries under the Annual Trade Protocol and Exports against payment in Indian Rupees to former Rupee Payment Countries:
 - Provided that conditions imposed by the Board of Approval on an Export Oriented Unit of Export Processing Zone unit will be binding on such a unit;
- (j) Export of Blood group Oh (Bombay Phonotype) meant for scientific research or emergency medical treatment, as life saving measure on humanitarian grounds by the Director, National Blood Group Reference Laboratory, Bombay on the basis of a certificate issued by him to this effect in each case;
- (k) export of samples of lubricating oil additives, Lube Oil, crude oil and other related petroleum products and raw materials used to manufacture Lube Additives by Lubrizols India Limited, Hindustan Petroleum Corporation Limited, and Bharat Petroleum Corporation Limited, from their installation in India to Lubrizol's Laboratories in the United States of America and the United Kingdom for evaluation and testing purposes.

[File No. 21|11|92-LS]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

ग्रधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. बा. 1057 (अ).— केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) प्रधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 10 की उपधारा (1) धारा प्रवत्त सिक्तयों का प्रयोग करने हुए, नीचे की सारणी में विनिद्धिष्ट प्रधिकारियों को ऐसे परिसर में प्रवेश करने और ऐसे माल, दस्सावें जों, चीजों और प्रवहणों की तलाशों लेने, उनका निरीक्षण करने और उन्हें प्रधिगृहीत करने के संबंध में, जो विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) नियम, 1993 के नियम 17 में विनिद्धिष्ट हैं, उत्तमें विहित प्रपेक्षाओं के प्रधीन रहने हुए, शिक्तयों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करनी है

सारणी

कम सं		
1.	विदेश व्यापार महानिवेशक ।	
2.	विवेश व्यापार ग्रपर महानिवेशक ।	
3.	विवेश व्यापार संयुक्त महानिवेशक ।	
4.	विवेश व्यापार उपमहानिदेशक ।	
5.	विदेश व्यापार सहायक महानिदेशक ।	
6.	श्रायात-निर्यात नियंत्रक ।	

[फा. सं. 21/11/92-एल. एस.] **डा.** पी. एल. संजीय रेड्डी, महानिवेशक, विदेश व्यापार

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1057(E).—In exercise of the powers conferred by subsection (1) of section 10 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby authorises the officers specified in the Table below to exercise powers with respect to entering such premises and searching, inspecting and seizing of such goods, documents, things and conveyances as are specified in rule 17 of the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, subject to the requirements prescribed therein.

TABLE

S. No	. Designation of officer	
1.	Director General of Foreign Trade	
2.	Additional Director General of Foreign Trade	
3.	Joint Director General of Foreign Trade	
4.	Deputy Director General of Foreign Trade	
5.	Assistant Director General of Foreign Trade	
6.	Controller of Imports and Exports	
	[F.No.21/11/92-LS]	
	P.L. SANJEEV REDDY, Director General	
	of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.	

ग्रधिसूचना

नई विल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. भा. 1058 (अ) — केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) भिधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 13 द्वारा प्रवत्त लिक्तियों का प्रयोग करते हुए, और भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की भ्रधिम् वना मं. का. भा. 797 (प्र), नारीख 15 अक्नूबर, 1990 को उन बातों के सिवाय भ्रधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिकमण के पूर्व किया गया है, नीचे की सारणी के स्तंभ (2) में विनिर्दिष्ट भिधकारियों को, भारा 11 के साथ पिटत धारा 13 के भ्रधीन शक्तियों का प्रयोग करने के प्रयोजनों के लिए, उक्त मारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में ऐसे अधिकारियों के क्षामने विनिर्विष्ट सीमाओं के भ्रधीन रहने हुए, प्राधिकृत करती है, अर्थात:—

_			ኅ
स	ŀ	ए	П

त्रम सं.	अधिकारी का पदनाम	माल का मूल्य जिसके संबंध में शक्ति का प्रयोग किया जासकेगा
(1)	(2)	(3)
2. विदे 3. विदे	ष्ण व्यापार भ्रपर महानिदेशक ष्य व्यापार संयुक्त महानिदेशक ष्य व्यापार उप महानिदेशक	कोई सीमा नही। 10 लाख रुपए तक। 5 लाख रुपए तक।
	श व्यापार सहायक महानिदेशक ग्रात-निर्यात नियं <mark>त्रक</mark>	2 लाख रुगए तक । 2 लाख रुपए तक ।

[फा. सं. 21/11/92-एल. एस.] डा. पी. एल. संजीव रेड्डी, महानिवेशक, विदेश व्यापार

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1058(E).—In exercise of the powers conferred by secsection 13 of the Foreign Trade (Development and Regulalation) Act, 1992 (22 of 1992) and in supersession of Notification of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S.O. 797(E), dated 15th October, 1990, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby authorises the officers specified in column 2 of the Table below for the purposes of exercising powers under section 13 read with section 11, subject to the limits specified against such officers in the corresponding entry in column 3 of the said Table, namely:—

TABLE

SI. No.	Designation of officer	Value of the goods in relation to which the power may be exercised.
1	2	3
•	ditional Director General of reign Trade	Without limit
	nt Director General of reign Trade	Upto Rs. 10 lakhs
	puty Director General of reign Trade	Upto Rs. 5 lakhs
	sistant Director General of reign Trade	Upto Rs. 2 lakhs
5. Co	ntroller of Imports & Exports	Upto Rs. 2 lakhs

[File No. 21/11/9z-LS]

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

ग्रधिसूचना

नई विल्ली, 31 दिसम्बर, 1993

का. था. 1059(भ्र).—केन्द्रीय मरकार, विशेष व्यापार (विकास और विनियमन) भ्रधिनियम, 1992 (1992 का 22) की घारा 15 की उपधारा (1) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त मित्तयों का प्रयोग करते हुए, मीचे की सारणी के स्तम्भ 3 में विनिर्दिष्ट भ्रधिकारियों को उक्त भ्रधिनियम की धारा 13 के अधीन केन्द्रीय सरकार नारा प्राधिकृत और उक्त सारणी के

स्तम्भ 2 में विनिर्विष्ट न्यायनिर्णायक प्राधिकारिया द्वारा पारित प्रादेशो के विक्रद अपील प्राधिकारी के रूप में कृत्य करने के लिए प्राधिकन करती है।

सारणी

अभि	न्यायानि गाँव के पाविकारी का पदनाम	
सं.		
1	2	3

- 1. भागात-निर्मात नियद्यक
- 2. विदेण व्यापार सहायक महानिदेणक
- 3. विदेश व्यापार उप-महानिदेशक
- 4. विदेश ब्यापार संयक्त महानिदेणक
- 5 विदेश व्यापार प्रपर महानिवेशक

विदेश व्यापार भ्रपर महानिवेशक

ग्रपर सचित्र. वाणिज्य महालय. जिसे उस मंत्रालय के दो संयक्त सचिवों और एक निदेशक द्वारा सहायता दी जाएगी।

फा. सं. 21/11/92--एल एस.] डा. पी. एल. मंजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1059(E).-In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (1) of section 15 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby authorises the officers specified in column 3 of the Table below to function as Appellate Authority against the orders passed by the Adjudicating Authorities authorised by the Central Government under section 13 of the said Act and specified in column 2 of the said Table.

TABLE

S. No.	Designation of Adjudicating authority	
1	2	3
2 3. :	Controller of Imports & Expo Assistant Director General of Foreign Trade Deputy Director General of Foreign Trade Joint Director General of Foreign Trade	Additional Director General of Foreign Trade
5.	Addl. Ditector General of Foreign Trade	Additional Secretary in the Ministry of Commerce aided by two Joint Secretaries and a Director of that Ministry.
	DR. P.L. SANJ . V	[File No. 21/11/92-LS]

of Foreign Ti de and Ex-Officio Addl. Secy.

भादेश

नई विल्ली, 31 विसम्बर, 1993

का आ. 1060(अ).--महानिदेशक, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) यधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 9 की उपधारा (2) और उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त णिक्तयों का प्रयोग करते हए, तीचे सारणी मे उन्निक्ति मधिकारियों की, माल के प्रायान या निर्मात के प्रयोजनों के लिए कोई धनुक्राति देने या नवीकरण करने या देने का नवीकरण से इंकार करने या उसे निलंबिन करने या रह करने के लिए प्राधिकृत करते हैं।

	सारणी	
क. ' सं.	प्रधिकारियों का पत्रनाम	ये राज्यक्षेत्र जिनको वाबन प्रधिकारिताकाप्रयोगकिया जानाहै।
(1)	(2)	(3)
		संपूर्ण भारत
2 निर्यात	त प्रायुक्त	संपूर्ण भारत
	त महानिदेशक, व्यापार	
(क)	महानिदेशक, विवेश व्यापार, मंज्ञालय, नई विल्ली ।	संपूर्ण भारत
(ख)	क्षेत्रीय मनुज्ञापन प्राधिकारी ।	ऐसे प्राधिकारी की भ्रपनी- श्रपनी क्षेत्रीय भ्रधिकारिता।
_	हानिदेशक, ग व्यापार	
(事)) महानिवेशक, विदेश व्यापार, मुख्यालय, नई विल्ली ।	मंपूर्ण भारत
(অ')	ं क्षेत्रीय भनुकापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की मपनी- ग्रपनी क्षेत्रीय ग्रधि- कारिता।
	क्ष महानिदेशक, ग व्यापार :	
(杯)	महानिदेश कः, विदेश व्यापार, मु ख् यालय ।	संपूर्ण भारत
(ख)	क्षेत्रीय श्रनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की श्रपनी- श्रपनी क्षेत्रीय ग्र धि- कारिना।
6. आय	ान और निर्यात नियं त्र क	
(क)) महानिदेशक, विदेण व्यापार, मृख्यालय ।	संपूर्ण भारत ।

(ख) क्षेत्रीय भ्रनज्ञापन प्राधिकारी

ऐसे प्राधिकारी की भ्रयनी-भ्रपनी क्षेत्रीय ग्रधि-

भारिमा ।

1

1)	(2)	(3)
्र जोन [्] प्रायुक्	ापार जोन या निर्मास प्रसंस्करण के विकास श्रापुक्त/संपुक्त विकास त/उप विकास श्रापुक्त/सहायक न श्रापुक्त।	ऐसे प्राधिकारी की ग्रथनी- श्रयनी क्षेत्रीय ग्रधि- कारिता।
·		

[फा. सं. 21/11/92-एन. एन]

डा. पी. एल. सजीव रेड्डी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

ORDER

New Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1060(E).—In exercise of the powers conferred by subsections (2) and (4) of section 9 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Director General authorises the officers mentioned in the Table below to grant or renew or refuse to grant or renew or to suspend or to cancel a licence for the purposes of import or export of goods.

TABLE	
S. The designation of No. the Officers	The Territorial areas in respect of which the jurisdiction is to be exercised
1 2	3
1. Additional Director General of Foreign Trade	Throughout India
2. The Export Commissioner	Throughout India
3. The Joint Director General of Foreign Trade;	
(a) In the Headquarters Office of the Director General of Forcign Trade, New Delhi	Throughout India
(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority.
4. The Deputy Director General of Foreign Trade:	
(a) In the Headquarters Office the Director General of Foreign Trade, New Delhi	
(b) In the Regional Licensing Authority.	Respective territorial jurisdiction of such authority.
5. The Assistant Director General of Fareign Trade:	
(a) In the Headquarters Office the Director neral of Foreign Trade.	of Throughout India
(b) In the Regional Licensing Authority	Respective territorial jurisdiction of such authority.
6. The Controller of Imports and Exports:	
(a) In the Headquarters Office of the Director General of Foreign Trade	Throughout India

(b)	In the Regional Licensing
	Authority

2

Respective territorial jurisdiction of such authority.

3

Respective territorial 7. The Development Commissioner/ Joint Development Commissioner/ jurisdiction of such Deputy Development Commissioner/ authority. Assistant Development Commissioner of a Free Trade Zone or an Export Processing Zone.

[File No. 21/11/92-LS]

DR. P.L. SANJEEV REDDY, Director General of Foreign Trade

भादेश

नई दिल्ली, 31 विसम्बर, 1993

का. धा. 1061(घ्र) ---महानिदेशक, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) प्रविनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त मस्तियो का प्रयोग करते हुए, नीचे सारणी में उल्लिखित अधिकारियों को उपर्युक्त धारा के उपबंशों के अनुसार मायानकर्ता-निर्यानकर्ता कोड संख्याक प्रदान करने के लिए प्राधिकृत करते है।

मारणी

क प्रधिकारियों का पदनाम सं.	वे राज्यक्षेत्र जिनको बाबत स्रक्षिकारिना का प्रयोग कियाजानाहै
(1) (2)	(3)
 भपर महानिवेशक, विदेश व्यापार 	संपूर्ण भारत
2. निर्यात भायुक्त	सपूर्णभारत
 संयुक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार: 	
(क) महानिदेशक, विदेश व्यापार, मुक्यालय, नई दिल्ली ।	सपूर्णे भारत
(ख) क्षेत्रीय घनुकापन प्राधिकारी ।	ऐसे प्राधिकारी की ग्रपनी- ग्रपनी क्षेत्रीय भक्ति- कारिता।
4. उपमहानिवेशक,	
विवेश व्यापार	
(क) महानिवेशक, विवेश व्यापार, मृज्यालय, नई विल्ली ।	संपूर्णभारत
(ख) क्षेत्रीय मनुकापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की मपनी - भगनी क्षत्रीय मधि- कारिता ।
 सहायक महानिदेशक, 	
विदेश व्यापारः	
(क) महानिदेशक, विवेश व्यापार, मुख्यालय ।	संपूर्ण भारत
(ख) क्षेत्रीय मनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी की मपनी मानी क्षेत्रीय शकि

कारिता ।

1

(1)	(2)	(3)
6.	श्रायात औ र निर्यात नियं त्र क	
	(क्र) महानिदेशक, विवेश व्यापार, मृहपालय ।	संपर्ण भारत
	(জ্ব) क्षेत्रीय अनुज्ञापन प्राधिकारी	ऐसे प्राधिकारी को प्रपनी- घरती जेलीय प्रधि- कारिता !
7.	मुक्त व्यापार जोन या निर्यात प्रसंरकरण जोन के त्रिकास प्रायुक्त/मंयुक्त विकास धायुक्त/उप विकास आयुक्त/प्रशासक विकास भायुक्त।	ऐसे पाधिकारी की ग्रयनील ग्रपनी क्षेत्रीय श्रक्षि- कारिया।
 -		

[फा. सं. 21/11/92--एच. एस.]

डा. पॅ(. एल. मंजीव रेड्डी, महातिवेशक, विदेश व्यापार

ORDER

Now Delhi, the 31st December, 1993

S.O. 1061(F)—In exercise of the powers conferred by section 7 of the Poreign Trade (Development and Regulation) Act, 1 92 (22 of 1992), the Director-General authorises the officers mentioned in the table below to great importer-expoter code number in accordance with the provisions of the aforesaid section.

TABLE

S. The designation No. Officer		Ine Territorial areas in respect of which jurisdiction is to be exercised.	
1 2		3	
Additional Director General of Foreign Trade		Throughout India	
2. The Export Commissioner		Throughout India	
3. The Joint Direct Foreign Trade:	tør General of		

- (a) In the Headquarters Office of Throughout India the Director General of Foreign Trade, New Delhi
- (b) In the Regional Licensing Respective territorial Authority jurisdiction of such authority.
- 4- The Deputy Director General of Poreign Trade:

2

- (a) In the Headquarters Office of Throughout India the Director General of Foreign Trade, New Delhi
- (b) In the Regional Licensing Respective territorial Authority jurisdiction of such authority.
- 5. The Assistant Director General of Foreign Trade.
 - (a) In the Headquarters Office of Throughout In lia the Director General of Foreign Trade.
 - (b) In the Regional Licensing Associate territorial Authority partialistic of such authority
- 6. The Controller of Imports and Exports: Throughout India
 (a) In the Headquarters Office
 of the Director General of
 Foreign Trade
 - (b) In the Regional Licensing Respective territorial Authority unisdiction of such authority
- 7. The Development Commissioner/
 Joint Development Commissioner/
 Deputy Development Commissioner/
 Assistant Development Commissioner
 of a Free Trade Zone or an Export
 Processing Zone.

[File No. 21/11/92-LS]

Dr. P.L. SANIEEV REDDY, Director General of Foleign Trade



असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PARI II—Section 3—Sub-section (i)

afluert e austen PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 459] नई बिल्ली, बृहस्पतिवार, विसम्बर 30, 1993/पीच 9, 1915 No. 459] NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 30, 1993/PAUSA 9, 1915

वाणिज्य मंत्रालय

(विवेश व्यापार महानिदेशालय)

ग्रधिस्चना

नई बिल्ली, 30 बिसम्बर, 1993

सा का नि. 791(म) '--केन्द्रीय सरकार, विवेश व्यापार (विषास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 19 द्वारा प्रवन्त पाक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, प्रयोत् --

- । सक्षिप्त नाम और प्रारंभ '
- (৷) इन नियमो का सक्षिप्त नाम विदेश व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 है।
 - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की नारीख से प्रधृत्त होगे।
- 2. परिभाषाए --इन नियमो में, अश्वातक कि संदर्भ में भ्रन्यया भ्रपेक्षित न हो,~-
 - (क) ''अधिनियम'' से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) श्रिधिनियम, 1992 (1992 का 22) श्रमिश्रेत है,
 - (ख) ''पूर्त प्रयोजन'' के झन्तर्गत निर्धनो को सहायता, शिक्षा, चिकित्सा सहायता और सर्वेमाधारण की उपयोगिता सर्वधी किसी झन्य उद्देश्य को झग्रसर करना है,

- (ग) "धायातकर्ता" या "निर्यातकर्ता" से ऐसा व्यक्ति प्रभिन्नेत है जो माल का भायात या निर्यात करना है और धारा 7 के भाषीन भनुभव विधिमान्य भायातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड सक्यांक धारण करता है,
- (थ) "भनजापन प्राधिकारी" से महानिवेशक द्वारा थारा 9 की उपधारा (2) के ग्रधीन इन नियमों के भ्रधीन भनुज्ञप्ति भ्रनुभव या नवीकरण करने के लिये प्राधिकृत कोई प्राधिकारी मिश्रीन है,
- (क) "नीनि" से केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के भ्राधीन बनाई गई और घोषित निर्यात और श्रायात नीति श्रीभिन्नेत है;
- (क) "ग्रन्सची" से इन नियमों से मंलग्न श्रनुमूची भ्रभिन्नेत है;
- (छ) "धारा" से प्रधिनियम की घारा प्रभिन्नेत है;
- (ज) "बिशेष" धनुश्राप्त" से धारा 8 की उपधारा (2) के अधीन धनुदत्त अनुश्राप्त प्राप्तिनेत है ,
- (ज्ञ) "मूल्य" का बड़ी ग्रर्थ है जो मीमा-शुल्क ग्रिधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 2 के खड (41) में है;
- (ङा) उन शब्दो और पद के, जोइन नियनों में प्रयुक्त हैं और परिभाषित नही हैं किन्तु ग्रधिनियम में परिभाषित हैं, यही ग्रर्थ होगे जो भ्रधिनियम में हैं।

2980 GI/93

- 3. विशेष प्रतृक्षप्ति का प्रनृद्धत्त किया जाना (1) जहां किसी व्यक्ति को अनुदत्त किया गया प्रायातकर्ता निर्यातकर्ता को उ लंख्यांक द्वारा 8 की उपधारा (1) के प्रधीन निलंबित या रह कर दिया गया है, यहां महानिवेशक, निम्नलिखित बातों का ध्यान रखते हुए, उने एक विशेष प्रतृक्षप्ति अनुदत्त कर सकेगा; प्रयत्ः --
 - (1) विशोप धनुकाप्ति के इंकार किये जाने से भारत के विदेश व्यापार पर प्रतिकृत प्रमाव पड़ने की संसावना है; या
 - (2) भ्रायानकर्ता-निर्यानकर्ता कोड पंड्यक के निर्देश यह रह-ग्रंग से ऐसी संभावना है कि भारतद्वारा किशी अंतरिंद्रीय करार के भ्रधीन कोई बाध्यना पूरी न की जा सके;
- (2) उपनियम (1) के भ्रधीन किसी व्यक्ति को ग्रनुवन विणेष भ्रमुक्ति भ्रमन्दरणीय होगी।
- 4. प्रमूजिनि प्रमुदत्त की जाने के लिये प्रावेदन-कोई व्यक्ति घारा 3 के घ्रधीन बनाई गई नीति या किये गये कियी प्रयोग के उपयन्थी के प्रमुखार माल का प्रायान या निर्यात गरने के संबंध में घनशक्ति घन्दत्त करने के निये प्रायेदन कर सकेगा।
- 5. फीस--(1) श्राय(त के लियो श्रनुशप्ति के संबर में प्रस्थेक श्रावेदन के साथ श्रनमुची भे विनिर्विष्ट फीस होगी।
- (2) फीस जमा करने का ढंग बह होगा जा ग्रनमूची मेविनिर्दिष्ट है।
- (3) निम्नलिखित द्वारा किए गये फिसी आवेदन के संबंध में कोई फीस संवेध नहीं होगी.
 - (क) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार या सरकार का कोई विभाग या कोई कार्यालय;
 - (ख) किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा णासकीय उपयोग के ति! अभेक्षित माल के सव्भाविक भ्रायान के निये कोई स्थानीय प्राधिकारी;
 - (ग) गैंकिक, पूर्व या मिशनरी प्रमोजनों के लिए गठित कियी संस्था के उपर्यांग के लिए ग्रयेक्षित मान के ग्रायात के लिये कोई संस्था;
 - (घ) (किसी यान में भिल्न) किसी माल के आयात के किये कोई भावेदक, यदि मान का भायात उसके ऐसे वैयिकिक उपयोग के लिये है जो व्यापार या विनिर्माण से गंबंधित नहीं है।
- (4) एक बार प्राप्त फीस निम्नलिखित परिस्थितियों के सिशाय स्रौटाई नहीं अधिगी, अर्थात्:--
 - (i) जहां फीस विनिर्दिष्ट फीस के मापमान से ध्रधिक अम की गई है; या
 - (ii) जहां फीस जभा की गई है किन्तु कोई झावेदन मही किया गया है; या
- (iii) जहाफीस गलती से अप्मा कर वी गई है किल्तु मावेदक फीस के सबोध से छुट प्राप्त हैं।
- 6. अनुज्ञप्ति की पार्तें:---(1) निर्यात के लिये प्रत्येक अनुःकाप्ति की यह एक पार्व समझी जायेगी कि:--
 - (i) कोई व्यक्ति, नीति के उपबन्धों के धनुसार के सिवाय, धनुशापन प्राधिकारी द्वारा जोरी की गई किसी धनुशीप्त का न तो अंतरण करेगा न ही अंतरण द्वारा धर्जित करेगा;
 - (ii) उस निर्यात के लिये, जिसकी धनुगण्त धनुदत्त की गई है माल निर्यात के समय धनुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होंगी।

- (2) धनुषापन प्राधिकारी, निम्नलिखिन शतौं में से किमी एक या अधिक के प्रश्नीन रहते हुए, ग्रायान के लिये धनुष्रीत जारी कर सकेगा, प्रार्थात्:--
 - (क) ध्रनुज्ञिष्ति के घ्रन्तगँन घाने वाले माल का नीति के उपबन्धों के ध्रनुसार या अनुज्ञिष्त में घ्रनुज्ञायन प्राधिकारी द्वारा विनिर्विष्ट रीति के मिनाय व्ययन नहीं किया प्रायेगा :
 - (सा) प्रमुक्तप्ति के लिये प्रावेदक प्रमुक्तप्ति के निजन्धनों और गतौँ का पालन करने के लिये एक बजनब निष्मादिन करेगा।
- (3) श्राय(म के लिये प्रत्येक अनुज्ञापित की यह एक अर्त समझी जायेगी कि:--
 - (कः) कोई व्यक्ति, नाति के उन्नन्धों के अनुसार के सिवाय, अनुनायन प्राधिकारी द्वारा जारी की गई किसी अनुसर्धन कान तो अंतरण करेगा नहीं अंतरण द्वारा अर्जिनकरेगा;
 - (खा) उस भ्रायान के लिए जिसकी भ्रनुज्ञप्ति अनुकत्त की गई है माल भ्रायात के समय और सीमा-शृल्क से निकासी के समय तक भ्रानुज्ञप्तिधारी की संपत्ति होंगी,
 - (ग) उस ग्रायात के लिए, जिसकी ग्रनुजन्ति ग्रनुवन की गई है; जब तक कि ग्रनुक्ति ग्रन्यथा कथित न हो, माल नए माल होंगे,
 - (घ) प्रानुज्ञाप्ति के अंतर्गत प्राने वाले प्रायात के लिए माल का महानिदेशक की लिखित प्रनुज्ञा के दिना निर्यात नहीं किया जाएगा ।
- (4) प्रीचौगिकी अंतरण संबंधी मारत-अभैरिका सदमावना-ज्ञापन (मैमोरेडम प्राफ अंडरस्टैडिंग) के निवधनों के प्रनुसार संयुक्त राज्य ध्रमेरिका से माल ध्रायात करने वाला कीई व्यक्ति ऐसे ज्ञापन के निवधनों के प्रनुसार जारी किए गए ध्रायात प्रमाणपत्न मे विनिधिष्ट सभी शतौँ और ध्राश्वासनों का, और ऐसे ध्रन्य ध्राश्वासनों का भी, जो उन माल का ध्रायात करने वाले व्यक्ति द्वारा भारत सरकार के माध्यम से संयुक्त राज्य ग्रमेरिका की सरकार का दिए गए है, पालन करेगा।

भ्रमुक्रप्ति से इकार किया जाना—(1) महानिदेशक या भ्रनुकापन प्राक्षिकारी, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबढ़ करके कोई ग्रनुक्रित भ्रनुदस करने या उसका नवीकरण करने से इकार कर सकेगा, यदि:—

- (क) प्रावेदक ने सीमा-गुल्क या विदेशी मुद्रा से संबंधित किसी विधि का उल्लंघन किया है;
- (खा) ग्रम्क्षाच्या के लिए भाषेदन सारभूत रूप में इन नियमां के किसी उपबंध, के श्रमुख्य नहीं है;
- (ग) धाबेदन या उसके समर्थन में प्रयुक्त किसी बस्तावेज भें कोई मिथुया या कपट पूर्ण या भ्रामक विवरण अंतर्ष्टि है;
- (घ) केन्द्रीय सरकार द्वारा, यथास्थिति, माल के निर्यात या प्रायान और उसके वितरण का निर्णेष या विशिष्ट प्रभिकरणों के माध्यम में विश्लेषण करने के लिए वितिषद्ध किया गया है:
- (इ) आवेदक के विरुद्ध कोई कार्रवाई अधिनियम या उसके अधीन अनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अधीन तत्मभय सम्बद्ध है:
- (अ) ध्रावेदक किसी ऐसी भागीदारी फर्म में प्रबंध भागीदार है या या मथवा किसी ऐसी प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी का, जिसका नियंत्रक हिल है, निदेशक है या था, जिसके विरुद्ध

कोई कार्रवाई म्रिप्तियम या उसके मधीन बनाए गए नियमों और किए गए मादेशों के मधीन तत्समय लिबन हैं;

- (छ) भावेदक श्रधिनियम के श्रधीन उस पर श्रधिरोपित किसी शास्ति कासदाय करने मे भासफल हो जाता है;
- (ज) आयोदक ने अनुज्ञाति को बिगाड़ दिया है;
- (क्ष) द्यावदकः या श्रावेदक का कोई श्रभिकर्ता या कर्मचारी, उसकी सहमति से, कोई अन्य श्रमुक्तप्ति श्रभिप्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए किसी भ्रष्ट या कपटपूर्ण श्राचरण का पक्षकार रहा है,
- (ङा) श्रावेदक नीति के किसी उपबंध के मनुसार मनुज्ञाप्ति के के लिए पान नहीं है ;
- (ट) ध्रावेदक महानिदेशक या धनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा मांगेगए किन्ही दस्तावेजो को पेश करने में भसफल हो जाता है;
- (ट) आयान के लिए अनुजन्ति की वशा में, विदेशी मुद्रा इस प्रयोजन के लिए उपलब्ध नहीं है;
- (ड) भ्रावेदन पर किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं जो नीनि के उपबंधों के भ्रभीन भ्रावेदक द्वारा सम्यक् रूप से प्राधिकृत व्यक्ति से सिक्ष हैं;
- (ढ़) घालेदक ने घपने द्वारा किए गण निर्यातो के सद्ध में केन्द्रीय सरकार या केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रक्षिकृत किसी घिधकरण में नकद प्रतिकरात्मक समर्थेन, शुल्क वापसी, रिजस्ट्रीकृत निर्यातकर्ताओं को घमुज्ञान नकद सहायता प्रसुविधाएं या कोई धन्य समरूप प्रसुविधाएं किसी मिथ्य कपटपूर्ण या श्रामक विवरण या किसी ऐसे दम्नावेज जो मिथ्या या गढ़ा या बिगाइ। हुमा है, के घाधार पर घिधप्राप्त करने का प्रयत्न किया है या घिधप्राप्त किया है।
- (2) उपधारा (1) के भ्रष्ठीन भ्रमुज्ञप्ति से इंकार किया जाना किसी ऐसी भ्रम्य कार्रवाई पर जो भ्रमुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा भ्रिधिनियम के भ्रधीन आयेदक के विरुद्ध की जाए, प्रतिकृत प्रभाव असले बिना होगा।
- 8. अनुक्राप्ति में संशोधन:—मनुक्रापन प्राधिकारी स्थप्ररेणा से या मनुक्रप्तिधारी द्वारा मानेदन पर, किसी मनुक्रप्ति में ऐसी रीति से, जो मालक्ष्यक हो या मनुक्रप्ति में किसी गलती या लोप को परिशोधित करने के लिए संशोधन कर सकेगा।
 - 9. ग्रनुज्ञप्ति का निलबन .--
 - (1) महानिश्वदेशक या धनुकापन प्राधिकारी, लिखित प्रादेश द्वारा, निम्नलिखित को प्रनुदेश प्रनुष्टित का प्रवर्तन निलिखित कर सकेगा----
 - (क) कोई ऐसा व्यक्ति, यदि निरोध का कोई घादेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण मधिनियम, 1974 (1974 का 52) के उपबंधों के भधीन ऐसे व्यक्ति के विश्व किया गया है; या
 - (ख) कोई ऐसी भागीदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी, यवि खंड (क) में निर्विष्ट व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी फर्म या कंस्पनी का भागीदार है या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक हैं:

परंतु निलंबन का म्रादेश, यथास्थिति, पूर्वोत्त व्यक्ति या भागीदारी फर्मे या कंपनी की बाबत प्रभावहीन हो जाएगी, जब ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया निरोध का मादेश .--

- (i) निरोध का ऐसा प्रावेश होने के कारण जिसको विवेशी मुबा संरक्षण और तस्करी निवारण प्रधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 9 के उपबक्ष लागू नहीं होते हैं, उस प्रधिनियम की धारा 8 के प्रधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व था सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व था सलाहकार बोर्ड की कोई निर्देश करने से पूर्व प्रतिसह तहों गाया है; या
- (ii) निरोध का ऐसा झादेश होने के कारण, जिसकी विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करो निवारण स्निधिनियम, 1974 (1974 का 52) की धारा 9 के उपबंध लागू होते हैं, उस भ्रिधिनियम की धारा 9 की उपधारा (2) के साथ पठित धारा 8 के भ्रधीन सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या ऐसी रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व प्रतिसंहृत हो गया है;
- (iii) सक्षम भविकारिता वाले किसी स्यायालय द्वारा भपास्त कर दिया गया है।
- (2) महानिदेशक या धनुज्ञापन प्राधिकारी, लिखित आवेण द्वारा, इन नियमों के भ्रष्टीन धनुद्वत्त किसी अनुज्ञप्ति का प्रवर्तन वहां निलंबित कर सकेंगा जहां ऐसी धनुज्ञप्ति के रहकरण के लिए कार्यवाहियां नियम 10 के ध्रधीन प्रारम्भ की गई हैं।
- 10. अनुज्ञाप्ति का रह किया जाना .— महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधि कारी, लिखित भादेश द्वारा, इन नियमों के प्रश्रीन भनुदल किसी भनुज्ञाप्ति को रह कर सकेगा, यदि .—
 - (क) अनुत्रप्ति कपट द्वारा, नथ्यों को छिन्ना कर या दुर्व्यय-देशन द्वारा म्राभिप्राप्त की गई है;या
 - (खा) अनुज्ञाप्ति धारी ने अनुजाप्ति की णर्ती में से किसी का भंग किया हैं;

या

- (ग) श्रनुक्राप्तिधारी ने भनुकाप्ति को किसी रीति से बिगाइ दिया है; या
- (घ) प्रनुज्ञप्तिधारी ने सीमाणुल्क या विवेशी मुद्रा से संबंधित किसी विधि या उससे ,संबंधित नियमों और विनियमो का उल्लंधन किया है।

11. धायातित माल के मूल्य और क्वालिटी के बारे में घोषणा .—
फिल्ही माल के किल्ही मीमा-शुल्फ पत्तनों में धायात करने या
उनसे निर्मात करने पर, जाहे वे शुल्क के वायित्वाधीन है या
नहीं, ऐसे माल का स्वामी सीमा-शुल्क ध्रधिनियम, 1962 के
घ्रधीन विहित प्रवेश पन्न या पोत पत्न या किल्ही घ्रथ्य दस्तावेजों
में ग्रपने सर्वोत्तम जानकारी और विश्वाम के ध्रनुसार ऐसे माल
का मूल्य, क्वालिटी और वर्णन कथित करेगा और माल के निर्यात
करने की वशा में, यह ध्रमाणित करेगा कि उन दस्तावेजों में
यथाकथित माल की क्वालिटी और विनिर्वेण केना या समनुदेणिती के साथ
की गई उस निर्यात संविदा के निबंधनों के ग्रनुसार है जिसके
धनुसरण में माल का निर्यात किया का रहा है और ऐसे विवरण
की सत्यता की घोषणा ऐसे प्रवेशपन्न या पोतपन्न या किल्ही ध्रन्य
दस्तावेजों के पाव में करेगा।

12 श्रायातकर्ता-नियंतिकर्ता कोड संख्याक के बारे में धोषणा :—(1) किन्हीं माल के किसी सीमा-शल्क पत्तन में श्रायात करने या उससे नियंति करने पर, श्रायातकर्ता या निर्यातकर्ता, यथास्थिति, प्रवेशपन्न या पोतपन्न में या प्रधिनियम या सीमा-शुल्क श्रधिनियम, 1962 (1962 का 52) के प्रधीन बनाए गए नियमीं हारा विहित किन्हीं श्रन्य दस्तावेजों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा उसका श्रावंटित श्रायातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक कथित करेगा।

13. भ्रायातित माल का उपयोग किया जाना :—(1) कोई भी ध्यक्ति भारतीय व्यापार निगम या केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी धन्य धिमकरण द्वारा उसको भ्राबंदित किन्हीं भ्रायातित माल का, उसके द्वारा ऐसे भ्राबंदन के लिए उसके भ्रावंदन में या ऐसे भ्रावंदन के समर्थन में उसके द्वारा प्रस्तुत किए गए किसी दस्तावंज में घोषित रीति और प्रयोजन से धन्यथा उपयोग नहीं करेगा।

- (2) कोई भी व्यक्ति अनुक्राप्ति पर भपने द्वारा भावातित किन्ही भास का व्ययन ऐसी भनुक्रप्ति के निबंधनों और शर्ती के अनुसार ही करेगा, सन्यया नहीं।
- 14. कोई घोषणा करने, विवरण देने या धोषणा या विवरण या धस्तावेज हस्ताक्षर करने के संबंध में प्रतिषेष :—(1) कोई भी व्यक्ति धनुकृष्टित प्रभिप्राप्त करने या कोई माल धायात करने के प्रयोजनों के सिए कोई ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज न तो करेगा न देगा न हस्ताक्षर करेगा न ही उसका उपयोग करेगा या करने या देने या हस्ताक्षर या उपयोग करने घेगा जिसके बारे में यह जानकारी है या यह विश्वास करने का कारण है कि ऐसी घोषणा, विवरण या दस्तावेज किसी तास्विक विशिष्ट में मिच्या है।
- (2) कोई भी व्यक्ति भनुक्राप्ति भभिप्राप्त करने या कोई माल भाषात या निर्यात करने के प्रयोजनों के लिए कोई कष्ट या कपटपूर्ण भाचरण का प्रयोग नहीं करेगा।
- 15. परिसर में प्रवेश करने और माल, वस्तावेजों, जीजों और प्रवहणों का निरीक्षण करने, उनकी तलाणी लेने तथा उनका अभिग्रहण करने की शक्ति:—(i) केन्द्रीय सरकार द्वारा धारा 10 की उपघारा (1) के प्रधीन प्राधिकृत कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चास प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है), किसी उचित समय पर, किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा जिसमें
 - (i) किन्हीं ऐसे भायातित माल या सामग्री को, जो ग्रधिनियम के जपबंघों के ग्रधीन भ्रधिहरण के वायित्वाधीन है; या
 - (ii) किन्तीं लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या चीजों, जो उसकी राय में,
 मधिनियम के मधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होगी या उनसे सुसंगत होंगी,

जिनके बारे में यह संबेह हैं कि उन्हें रखा गया है या छिपाया गया है और ऐसे माल, सामग्री, लेखा पुस्तकों, दस्तावेजों या चीजों का निरीक्षण कर सकेगा तथा उनसे ऐसे टिप्पण या उद्धरण ले सकेगा जो वह ठोक समझे।

- (2) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने के कारण है कि —
 - (i) मिधिनियम के भधीन मिधिहरण के दायित्वाधीन किन्ही म्रायातित माल या सामग्री को; या
 - (ii) किन्ही लेखापुस्तकों या वस्तावेजों या बीजों को, जो उसकी राय में, धिविनयम के ब्राधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगी, या उनसे सुसंगत होंगी,

किसी परिसर में छिपाया गया है, तो वह ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेया और ऐसे माल, सामग्री, लेखा पुस्तकों, वस्तावेजों या चीजों के लिए ऐसे परिसर की तलागी ले सके। (3) (क) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई ध्रायातित माल या सामग्री अधिनियम के ध्रधीन अधिहरण के वायित्वाधीन हैं, तो वह ऐसे माल या सामग्री को, ऐसे पैकेंग, आवरण या पान्न, यदि कोई है, सहित, जिसमें ऐसे माल या सामग्री को किन्ही ध्रत्य माल या सामग्री के साथ मिला कर रखा गया पाया गया है, ध्रभिगृहीत कर सकेगा:

परन्तु जहां किन्हीं ऐसे माल या सायग्री का स्रभिग्रहण करना साध्य नहीं है वहां प्राधिकृत व्यक्ति माल या मामग्री के स्थामी की एक भ्रादेश तामील कर सकेगा कि वह प्राधिकृत व्यक्ति की पूर्व अनुज्ञा के बिना माल या सामग्री को न तो हटाएगा न किनग करेगा न ही प्रथ्यया बरनेगा।

(खा) जहां किन्हीं माल या सामग्री का खंड (क) के प्रधीन प्रभि-ग्रहण किया जाता है और उसके सबंध में कोई सूचना मात्र या सामग्री के ग्रमिग्रहण से छह मास के भीतर नहीं दो जाती है बहा माल या सामग्री उस व्यक्ति को, जिसके कब्जे से बे अभिग्रहीत की गई थीं, लौटा दी जाएगी:

परन्तु छह मास की पूर्वोक्त श्रविध को, वींगत किए जाने वाले पर्याप्त हैतुक पर, महानिदेशक द्वारा ऐसी और श्रविध के लिए जी छह मास से श्रविक न हो, बढ़ाया जा सकेगा।

- (ग) प्राधिकृत व्यक्ति किन्हीं लेखा पुस्तकों या वस्तावणों या चीजों को, जो उसकी राय में, प्राधिनयम के प्रधीत किन्ही कार्यवाहियो के लिए उपयोगी होगी या उनसे सुसंगत होंगी, प्राधिगृहीत कर सकेगा;
- (ध) बह व्यक्ति, जिसकी भ्रभिरक्षा से कोई दस्ताबेज इस उपनिमम के श्रधीन भ्रमिग्रहीत किए गए है, प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में उनकी प्रतियां बनाने का या उनसे उद्धरण क्षेत्र का हकदार होगा ।
- (इट) यदि इस उपनियम के झबीन झिभगृहीत लेखा पुस्तकों या ऋस्य इस्लाबेजो या चीजों का विधि द्वारा हकदार कोई व्यक्ति, किसी कारण से, प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखा पुस्तकों या दस्तावजों या चीजों के प्रतिघारण के प्रति झाक्षेप करता है तो वह केन्द्रीय सरकार को श्रावेदन कर सकेगा जिसमें ऐसे झाक्षेप के लिए जो कारण हैं उन्हें कथित करेगा और लेखा पुस्तकों या दस्तावेजों या चीजों के लौटाए जाने के लिए निवेदन करेगा।
- (च) खंड (ङ) के प्रधीन प्रावेदन की प्राप्ति पर, केन्द्रीय सरकार धावेदक को सुनवाई का धवसर देने के पश्चात्, ऐसा धावेश पारित कर सकेगी जो वह टीक समझे ।
- (छ) जहां कोई दस्तावेज किसी व्यक्ति द्वारा पेण किया जाता है या दिया जाता है अथवा अधिनियम के प्रधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या उसके नियंकण से अभिगृहीत किया गया है या किसी व्यक्ति द्वारा धारा 11 में निर्दिष्ट किसी उल्लंधन के लिए अन्त्रेषण के दौरान भारत के बाहर के किसी स्यान से प्राप्त किया गया है और ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति के विषद्ध, जिसके द्वारा वह पेण किया जाता है या जिससे यह अभिगृहीत किया गया था, या ऐसे व्यक्ति या किसी ऐने अन्य व्यक्ति के विषद्ध संगुक्ततः कार्यवाही की जाती है, साक्ष्य में दिया जाता है, वहां न्याय निर्णायक प्राधिकारी सस्तम्य प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तिविष्ट तरप्र-तिकृत किसी बात के होते हुए भी,—
 - (1) जब कि तिह्यतिकूल साबित न कर विया जाए, यह उप-धारणा करेगा कि ऐसे वस्तावेज के हस्ताक्षर ग्रीर उसका प्रत्येक प्रत्य भाग, जिसका किसो ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के, जिसके बारे में न्यायिनिर्णायक प्राधिकारी उचित रूप से यह धारणा कर सकेगा कि उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति क्षारा हस्ताक्षर किए गए हैं या वह उसके हस्तलेख में है, इस्तलेख में होना तार्त्याय है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, ग्रीर निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी वस्तावेज की वशा से, उसे उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या ग्रमुप्रमाणित किया गया या, जिसके द्वारा उसे इस प्रकार निष्पादित या ग्रमुप्रमाणित किया गया था, जिसके द्वारा

- (ii) दरतावेज का इस बात के हाते हुए भी ग्रहण करेगा कि इस पर सम्बक्त रूप से स्टाम्य नहीं लगा है, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में भ्रन्यथा ग्राह्म है।
- (4) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह सदेह करने का कारण हैं कि किसी प्रवहण या पणु का किसी ऐसे घायाति। मान या सामग्री के, जो घिधियम के अधीन अधिहरण के दायिस्वाधीत हैं, परिवहन के लिए उग्योग किया जा रहा है या उग्योग किया जाने वाला है, और ऐसे परिवहन से अधिनियम के किसी उग्वंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किसी समय किया जाने वाला है, तो यह ऐसे प्रवहण या पणु को रोक सकेमा या लायुयान की द्या मे, उसे उत्तरने के लिए विवस कर सकेगा, और—
 - (क) प्रवहण या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेंगा या सलार्माले सकेगा;
 - (श्रा) प्रश्रहण में के या पशुपर के किसो माल या सामग्री की जांच कर सकेगा ग्रांर नलाशी ले सकेगा?
 - (ग) यदि किसी प्रवहण या पशु को रोकना ब्रावय्यक हो जाता है, तो यह उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनां का प्रयोग कर सकेगा भीर जहां ऐसे साधन निष्कत हो जाते है, वहां प्रवहण या पशु पर गोली वागी जा सकेगी,

भीर जहां उसका यह समाधान हो जाना है कि अधिनियस या उसके भधीन बनाए गए नियमों भीर किए गए भावेशों या नीति के किसी उनवंध का या किसी भनुप्रित की शर्त का उल्लंबन रोकने के लिए ऐसा करना भावश्यक है, वहां वह ऐसे प्रवहण या गणु का प्रशिग्रहण कर संकेगा।

स्पर्ष्टाकरणः --इस नियम में प्रवहण के प्रति किसी निर्देश का, जब तक कि संदर्भ से धन्यया श्रमेक्षित न हों, यह श्रर्थ लगाया प्राप्ना कि उसके धौतर्गत वायुयान, यान या जलयान के प्रति निर्देश है।

- 16 परिनिर्वारण -- न्यायनिर्णायक प्राप्तिकारी उस व्यक्ति द्वारा, जिसको सूचना जारी की गई है और जिन्नि परिनिर्वारण के लिए विकल्य किया है भीर निम्निलिक्ति मामलों में, सूचना में बिनिर्दिण्ड जल्लंबन स्वीकार किया है, संदत्त की जाने वाली परिनिर्वारण रकम अवधारित कर सकेगा, भ्राप्ति:--
 - (i) जहां यह राय है कि म्राधिनियम या इन नियमों या नीति के किसी उग्बंध का उल्लंघन भागराधिक मनःस्थिति के बिना या जानशूम कर भूल के बिना या तथयों को छित्राए बिना या किसी दुस्तीय के बिना या कंग्ट भीर कूटरचना के बिना या विदेशी मुद्रा की हानि कराने के प्राणय के बिना किया गया है, या
 - (ii) जहां माल का प्रायात करने वाले व्यक्ति ने नंति मे सथा-विनिर्विष्ट वास्त्रजिक उत्तमानता शर्तों की प्रपेक्षाओं का पूरा नहीं किया है प्रोर उक्त प्रायातित माल का दुस्पया नहीं किया है, या
 - (iii) जहां माल का स्रायात करने वाले व्यक्ति ने निर्यात बाध्यता को पूर्ति नहीं को है स्रोर उपत श्रायातिक माल का कुरुपयान नहीं किया है।
- (2) जहां किसी व्यक्ति ने उपनियम (1) के प्रयोग परिनिर्धारण के लिए विकल्प किया है, वहां स्थायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा किया गया परिनिर्धारण मंतिम होगा।
- 17. प्रधिहरण घौर मोचन-- (1) किन्ही ऐसे प्रायातित माल या सामग्री, जिनकी बाबप--
 - (क) उनके उत्योग या बितरण से संबंधित अनुज्ञाचित की। किसी मर्त की, या उन प्राधिकार-पन्न की, जिसके अर्धान उनकी आयात किया गया था, या

- (ख्र) उनके उपयाग या विधारण से सर्वाधन कियो गर्त का, जिसके श्रश्रीन रहते हुए वे केल्क्राय सरकार द्वारा मान्यनाप्राप्त किसी श्रीमकरण से या उसके साध्यम से प्राप्त की गई थीं, या
- (ग) देने माल पा सामग्री के विकाद या व्ययन के सर्वं में निति के प्रजीत अधियां कि किमी णार्ग का,

उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयस्न किया गया है, किसी ऐसे पैकेश, धावरण या पाल सिंहन, जिसमें ऐसे माल पाए जाते है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा प्रधिक्षरण किए जाने के दायिस्वाधीन होंगी, चौर जहां ऐसे माल या सामग्री की विभी धन्य माल या सामग्री के साथ इस प्रकार मिला विधा जाता है कि उन्हें नुरंत धलग नहीं किया जा सकता, वहां ऐसे माल या सामग्री भी 'इस प्रकार धिखहरण किए जाने के दाधिस्वाधीन होंगी:

परन्तु जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि किन्हीं ऐसे मांस या सामग्री का, जो इस नियम के अर्थान अधिहरण के दायिखार्थान हैं, वैयक्तिक उपयोग के लिए प्रायात किया गया था न कि किसी व्यापार या उद्योग के लिए, बहां ऐसे मान या मामग्री का अधिहरण करने के लिए आदेश नहीं किया आएगा।

(2) न्यायनिर्णायक प्राधिकारी प्रधिद्वाः माल या सामग्री के मोचन को ऐसे माल या सामग्री के बाजार मूल्य के बराबर मोजन प्रभार का संवाय करने पर श्रनुका वे सकेगा।

18. प्रथहण का अधिहरण-- (1) कोई ऐसा प्रवहरण या पण्, जिसका किन्ही ऐसे माल या सामग्रा के, जिनका श्रायात किया गया है भीर जो नियम 17 के अजेन अधिहरण के दायिश्वाधीन है, परिवहन के लिए उपयोग किया गया है, किया जा रहा है या किए जाने का प्रयश्न किया गया है, न्यायनिर्णायक प्राधिकारो हारा अधिहरण किए जाने के दायिश्वाधीन होगा, जब तक कि प्रवहण या पण् का स्वामी यह साबित नहीं कर देता है कि उमका स्वय स्वामी, उराके अधिकारी यदि कोई है, भीर प्रवहण या पण् के भारमाधक व्यक्ति की जानकारी या मीनानुकूलता के बिना इस प्रकार उपयोग किया गया था, किया जा रहा है या किया जाने वाला है और उनमें से प्रत्येक ने ऐसे उपवाग के विरुद्ध सभी युवि।-युक्त प्रविद्यानियां बरर्ता थी।

(2) त्यायानिर्णायक प्राधिकारी भाडे पर मान या यात्रियों के परि-यहन के लिए प्रयुक्त भाधिह्द प्रवहणया पशु के मोचन की ऐसे प्रयहण या पशु के बाजार मूल्य के बराबर मोचन प्रभार का संदाय करने पर श्रनृज्ञा देगा।

[फा. सं. 21/11/92 — एन. एन.]

ष्टा. पी. एल. संजीबरेण्ड्डी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन श्रथर सचित्र

घनुसूची

(नियम 5 देखिए)

निम्निलिखित फीस प्रायात प्रमुक्ति प्रावि के लिए श्रावेदन के संबंध में उद्ग्रहणीय होगी।

कम सं	विशिष्टियां	फोस को रकम
1	2	3
	दन में निर्निर्दिष्ट माल का मूल्य आर रुपए से अधिक नही है ।	हो मौ रुपए

1 2	3
2. जहा आवेदन में विनिर्दिष्ट माल व पद्मास हुआर रुपए से अधि किन्तु एक करोड़ रूपए से अधिक है।	क है। के अधीन रहते हुए प्रति
 जहां आयेदन से विनिविध्य मात्र क मूल्य एक कराड रुपए से अधिक 	
 अनुक्राप्ति की दूसरी प्रति अनुदक्त के लिए आवेदन। 	करने दो सौ र पण्
 उस दशा में जहां आयान अनुज्ञिति अन्य पत्नाचार स्पीड डाक द्वारा है। 	
6 पहचान पत्न जारी करने के लिए	प्रावेदन । थीं सौ रुपए
7 मूल कार्डगुम हो जाने की दणा पहचान पत्न की दूसरी प्रक्षि आर्र के लिए साबेदन।	
 श्रायात श्रनुकृष्ति की लदाई – अर्था विस्तारण। 	धिका दोसीदपए
 विभाजित मनुर्जाप्त मनुदस करने लिए पायेदन । 	के प्रति विभाजित प्रनुजन्ति एक हजार रुग्।
	उपभोक्सा या रजिस्ट्रीकृत निर्यानकर्ता

द्वारा कच्ची सामग्री, संघटक और फालतू पूर्जी के ग्रायान के लिए, जहां भावेदन में विनिर्दिण्ट मालका मूल्य वी लाख रूपए से ग्रधिक नहीं है भाषात भनुकारित के लिए आवेदन के संबंध में संदेश फीस की रकम वो सौ रुपए होगी।

MINISTRY OF COMMERCE

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th December, 1993

G.S.R. 791(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules, namely :-

- 1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions.—In these rules unless the context otherwise requires,—
 - (a) "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1922);

- (b) "charitable purpose" includes relief of the poor, education, medical relief, and the advancement of any other object of general public utility;
- (c) "importer" or "exporter" means person who imports or exports goods and holds a valid Importer-exporter Code Number granted under section 7;
- (d) "licensing authority" means an authority authorised by the Director General under sub-section (2) of section 9 to grant or renew a licence under these rules;
- (e) "Policy" means the export and import Policy formulated and announced by the Central Government under section 5;
- (f) "schedule" means a Schedule appended to these rules;
- (g) "section" means a section of the Act;
- (h) "special licence" means a licence granted under sub-section (2) of section 8;
- (i) "value" has the meaning assigned to it in clause (41) of section 2 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962);
- (i) words and expression used in these rules and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Grant of special licence.—(1) Where the Importer-exporter Code Number granted to any person has been suspended or cancelled under sub-section (1) of section 8, the Director General may, having regard to the following factors, grant to him a special licence, namely :-
 - (1) that the denial of a special licence likely to affect the foreign trade India adversely; or
 - (2) that the suspension or cancellation of the Importer-exporter Code Number is likely to lead to non-fulfilment of any obligation by India under any international agreement;
- (2) The special licence granted to any person under sub-rule (1) shall be non-transferable.
- 4. Application for grant of licence.—A person may make an application for the grant of a licence to import or export goods in accordance with the provisions of the Policy or an Order made unler section 3.
- 5. Fee.—(1) Every application for a licence to import shall be accompanied by the fee specified in the Schedule.
- (2) The mode of deposit of fee shall be as specified in the Schedule.

- (3) No fee shall be payable in respect of any application made by:
 - (a) the Central Government, a State Government or any department or any office of the Government;
 - (b) any local authority for the bona-fide import of goods required by it for official use;
 - (c) any institution set up for educational, charitable or missionary purposes, for the import of goods required for its use;
 - (d) an applicant for the import of any goods (other than a vehicle) if the import of the goods is for his personal use which is not connected with trade or manufacture.
- (4) The fee once received will not be refunded except in the following circumstances, namely:—
 - (i) where the fee has been deposited in excess of the specified scale of fee; or
 - (ii) where the fee has been deposited but no application has been made; or
 - (iii) where the fee has been deposited in error but the applicant is exempt from payment of fee.
- 6. Conditions of licence.—(1) Iit shall be deemed to be a condition of every licence for export that:—
 - (i) no person shall transfer or acquire by transfer any licence issued by the licensing authority except in accordance with the provisions of the Policy;
 - (ii) the goods for the export of which the licence is granted shall be the property of the licensee at the time of the export.
- (2) The licensing authority may issue a licence for import subject to one or more of the following conditions, namely:—
 - (a) that the goods covered by the licence shall not be disposed of except in accordance with the provisions of the Policy or in the manner specified by the licensing authority in the licence;
 - (b) that the applicant for a licence shall execute a bond for complying with the terms and conditions of the licence.
- (3) It shall be deemed to be a condition of every licence for import that :—
 - (a) no person shall transfer or acquire by transfer any licence issued by the licensing authority except in accordance with the provisions of the Policy;

(b) the goods for the import of which a licence is granted shall be the property of the licensee at the time of import and upto the time of clearance through customs;

- (c) the goods for the import of which a licence is granted shall be new goods, unless otherwise stated in the licence:
- (d) the goods covered by the licence for import shall not be exported without the written permission of the Director General.
- (4) Any person importing goods from the United States of America in accordance with the terms of the Indo-US Memorandum of Understanding on Technology Transfer shall also comply with all the conditions and assurances specified in the Import Certificate issued in terms of such Memorandum, and such other assurances given by the person importing those goods to the Government of the United States of America through the Government of India.
- 7. Refusal of licence.—(1) The Director General or the licensing authority may for reasons to be recorded in writing, refuse to grant or renew a licence if—
 - (a) the applicant has contravened any law relating to customs or foreign exchange;
 - (b) the application for the licence does not substantially conform to any provision of these rules;
 - (c) the application or any document used in support thereof contains any false or fraudulent or misleading statement;
 - (d) it has been decided by the Central Government to canalise the export or import of goods and distribution thereof, as the case may be, through special or specialised agencies;
 - (e) any action against the applicant is for the time being pending under the Act or rules and Orders made thereunder;
 - (f) the applicant is or was a managing partner in a partnership firm, or is or was a Director of a private limited company, having controlling interest against which any action is for the time being pending under the Act or rules and Orders made thereunder;
 - (g) the applicant fails to pay any penalty imposed on him under the Act;
 - (h) the applicant has tampered with a licence;

- (i) the applicant or any agent or employee
 of the applicant with his consent has
 been a party to any corrupt or fraudulent practice for the purposes of obtaining any other licence;
- (j) the applicant is not eligible for a licence in accordance with any provision of the Policy;
- (k) the applicant fails to produce any document called for by the Director General or the licensing authority;
- (1) in the case of a licence for import, no foreign exchange is available for the purpose;
- (m) the application has been signed by a person other than a person duly authorised by the applicant under the provisions of the Policy;
- (n) the applicant has attempted to obtain or has obtained cash compensatory support, duty drawback, cash assistance benefits allowed to Registered Exporters or any other similar benefits from the Central Government or any agency authorised by the Central Government in relation to exports made by him on the basis of any false, fraudulent or misleading statement or any document which is false or fabricated or tampered with.
- (2) The refusal of a licence under sub-rule(1) shall be without prejudice to any other action that may be taken against an applicant by the licensing authority under the Act.
- 8. Amendment of licence.—The licensing authority may of its own motion or on an application by the licensee, amend any licence in such manner as may be necessary or to rectify any error or omission in the licence.
- 9. Suspension of a licence.—(1) The Director General or the licensing authority may by order in writing, suspend the operation of a licence granted to—
 - (a) any person, if an order of detention has been made against such person under the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974); or
 - (b) a partnership firm or a private limited company. if the person referred to in clause (a) is a partner or a whole time director or managing director, as the case may be, of such firm or company:

- Provided that the order of suspension shall cease to have effect in respect of the aforesaid person or, as the case may be, the partnership firm or company, when the order of detention made against such person,—
 - (i) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) do not apply, has been revoked on the report of Advisory Board under section 8 of that Act or before receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or
 - (ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) apply, has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 read with subsection (2) of section 9 of that Act or before receipt of such report;
 - (iii) has been set aside by a court of competent jurisdiction.
- (2) The Director General or the licensing authority may by an order in writing suspend the operation of any licence granted under these rules, where proceedings for cancellation of such licence has been initiated under rule 10.
- 10. Cancellation of a licence.—The Director General or the licensing authority may by an order in writing cancel any licence granted under these rules if—
 - (a) the licence has been obtained by fraud, suppression of facts or misrepresentation; or
 - (b) the licensee has committed a breach of any of the conditions of the licence; or
 - (c) the licensee has tampered with the licence in any manner; or
 - (d) the licensee has contravened any law relating to customs or foreign exchange or the rules and regulations relating thereto.
- 11. Declaration as to value and quality σf imported goods.—On the importation into. or exporation out of, any customs ports σf goods, any whether liable duty to or not. the owner of such goods shall in the Bill of Entry or the Shipping Bill or any other documents prescribed under the Customs Act 1962, state the value, quality and description of such goods to the best of his knowledge and belief and in case of exportation

goods, certify that the quality and specimeation of the goods as stated in those documents, are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods are being exported and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or Shipping Bill or any other documents.

- 12. Declaration as to Importer-exporter Code Number.—On the importation into or exportation out of any Customs port of any goods the importer or exporter shall in the Bill of Entry or Shipping Bill or, as the case may be, in any other documents prescribed by rules made under the Act or the Customs Act, 1962 (52 of 1962), state the Importer-exporter Code Number allotted to him by the competent authority.
- 13. Utilisation of imported goods.—(1) No person shall use any imported goods allotted to him by the State Trading Corporation of India or any other agency recognised by the Central Government in a manner and for the purpose, otherwise than as declared by him in his application for such allotment or in any document submitted by him in support of such application.
- (2) No person shall dispose of any goods imported by him against a licence except in accordance with the terms and conditions of such licence.
- 14. Prohibition regarding making, signing of any declaration, statement or documents:—
 (1) No person shall make, sign or use or cause to be made signed or used any declaration, statement or document for the purposes of obtaining a licence or importing any goods knowing or having reason to believe that such declaration, statement or document is false in any material particular.
- (2) No person shall employ any corrupt or traudulent practice for the purposes of obtaining any licence or importing or exporting any goods.
- 15. Power to enter premises and inspect, search and seize goods, documents, things and conveyances.—(1) Any person authorised by the Central Government under sub-section (1) of section 10 (hereinafter called the authorised person) may, at any reasonable time enter any premises in which—
 - (i) any imported goods or materials which are liable to confiscation under the provisions of the Act; or
 - (ii) any books of accounts or documents or things which, in his opinion, will be useful for, or relevant to any proceedings under the Act,

are suspected to have been kept or concealed and may inspect such goods, materials, books of accounts. documents or things and may take such notes or extracts therefrom as he may think fit.

5 1---- <u>--</u>-- 11-- 5 1--

- (2) If the authorised person has reasons to believe that—
 - (i) any imported goods or materials liable to confiscation under the Act; or
 - (ii) any books of accounts or documents or things which, in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceedings under the Act,

me secreted in any premises he may enter into and search such premises for such goods, materials, books of accounts, documents or things.

(3) (a) If the authorised person has reason to believe that any imported goods or materials are liable to confiscation under the Act. he may seize such goods or materials together with the package, covering or receptacle, if any, in which such goods or materials are found to have been mixed with any other goods or materials:

Provided that where it is not practicable to seize any such goods or materials, the authorised person may serve on the owner of the goods or materials an order that he shall not remove, part with or otherwise deal with the goods or materials except with the previous permission of the authorised person.

(b) Where any goods or materials are seized under clause (a) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods or materials, the goods or materials shall be returned to the person from whose possession they were seized.

Provided that the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Director General for a further period not exceeding six months.

- (c) The authorised person may seize any books of accounts or documents or things which in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceedings under the Act
- (d) The person from whose custody any documents are seized under this subrule, shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of the authorised person.

- (e) If any person legally entitled to the books of account or other documents or things seized under this sub-rule objects, for any reason, ta the retention by the authorised person of the books of account or the documents or things, he may move an application to the Central Government stating therein the reasons for such objection, request for the return of the books or account or documents or things.
- (t) On receipt of the application under clause (e), the Central Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such order as it may think fit.
- (g) Where any document is produced or furnished by any person or has been seized from the custody or control of any person under the Act or has been received from any place outside India in the course of the investigation for any contravention referred to in section 11 by any person and such document is tendered in evidence against the person by whom it is produced or from whom it was seized or against such person or any other person who is jointly proceeded against, the Adjudicating Authority, shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force.—
 - (i) presume, unless the contrary is proved, that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person of which the Adjudicating Authority may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person, is under the person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested;
 - (ii) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.
- (4) The authorised person, may, if he has reason to suspect that any conveyance or animal is being or is about to be used for the transportation of any imported goods or material which are liable to confiscation under the Act, and that by such transportation any provision of the Act has been, is being or is about to be contravened at

any time, stop such conveyance or animal or in the case of aircraft compel it to land, and—

- (a) rummage and search the conveyance of any part thereof;
- (b) examine and search any goods or vaterial in the conveyance or on the animal;
- (c) if it becomes necessary to stop any conveyance or animal, he may use all lawful means for stopping it and where such means fail, the conveyance or animal may be fired upon,

and where he is satisfied that it is necessary so to do to prevent the contravention of any provision of the Act or of the rules and orders and thereunder or the Policy or condition of any licence, he may seize such conveyance or animal.

Explanation—Any reference in this rule to a conveyance shall, unless the context otherwise requires, be construed as including a reference to an aircraft, vehicle or vessel

- 16. Settlement.—(1) The Adjudicating Authority may determine the amount of settlement to be paid by the person to whom a notice has been issued and who has opted for settlement and has admitted the contravention specified in the notice, in the following cases, namely:—
 - (i) where it is of the opinion that the contravention of any provision of the Act or these rules or the Policy to been made without mensrea or without wilful mistake or without suppression of facts, or without any collusion, or without fraud and forgery, or without an intent to cause loss of foreign texchange; or
 - (ii) where the person importing the goods has not met the requirements of the actual user conditions as specified in the Policy and has not misutilised the said imported goods; or
 - (iii) where the person importing the goods has not fulfilled the export obligation and has not mis-utilised the said imported goods.
- (2) Where a person has opted for settlement under sub-rule (1), the settlement made by the Adjudicating Authority shall be final.
- 17. Confiscation and redemption.—(1) any imported goods or materials in respect of which—
 - (a) any condition of the licence, or letter of authority under which they were

- -- -- //////-

imported, relating to their utilisation or distribution; or

- (b) any condition, relating to their utilisation or distribution, subject to which they were received from or through, an agency recognised by the Central Government; or
- (c) any condition imposed under the Policy with regard to the sale or disposal of such goods or materials;

has been, is being, or is attempted to be, contravened, shall together with any package, covering or receptacle in which such goods are found, be liable to be confiscated by the Adjudicating Authority, and where such or materials are so mixed with any other goods or materials that they cannot be readily separated, such other goods or materials shall also be liable to be so confiscated:

Provided that where it is established to the satisfaction of the Adjudicating Authority that any goods or materials which are liable to confiscation under this rule, had been imported for personal use, and not for any trade or industry, such goods, or materials shall not be ordered to be confiscated.

- (2) The Adjudicating Authority may permit the redemption of the confiscated goods or materials upon payment of redemption charges equivalent to the market value of such goods or materials.
- 18. Confiscation of conveyance.—(1) Any conveyance or animal which has been, is being, or is attempted to be used, for the transport of any goods or materials that are imported which are liable to confiscation under rule shall be liable to be confiscated by the Adjudicating Authority unless the owner of the conveyance or animal proves that it was, is being, or is about to be so used without the knowledge or connivance of the owner himself, his agent, if any, and the person in-charge of the conveyance or animal and that each of them had taken all reasonable precautions against such use.
- (2) The Adjudicating Authority shall permit redemption of the confiscated conveyance or animal used for the transport of goods or passengers for hire upon payment of redemption charges equivalent to the market value of such conveyance or animal.

[File No. 21]11|92-LS]

DR. P. L. SANJEEV REDDY, Director General Foreign Trade and Ex-Officio Addl. Secy.

SCHEDULF.

(See rule 5)

The following fee shall be leviable in respect of the application for an import licence etc.

SCALE OF FEE SL. Particulars. Amount of Fee No. - - - - +- -, ------ , _ - - ---

- 1. Where the value of goods Rupees two hundred specified in application does not exceed Rupees fifty thousand.
- ? Where the value of the Rupees two per thousand or goods specified in the app- part thereof subject to a minilication exceeds Rupees fifty mum of rupees two hundred thousand but does not exceed Rupees one crore.
- 3. Where the value of the Rupees two per thousand or goods specified in the app- part thereof subject to a lication exceeds rupers one maximum of Rs. one lakh and crore fifty thousand
- 4. Application for grant of Ripers vi hundred duplicate licence
- 5. In case where import 11- Rupees two hundred cence and other correspondence are required by Speed Post.
- 6 Application for issue of an Rupers two hundred Ident ty Card.
- 7. Application for issue of Rupe sone hundred duplicate Identity Card in the event of loss of original Card.
- 8. Extension of the period of Rupees two hundred shipment of an Import licence
- 9. Application for grant of Rupees one thousand per Split split-up licences. up licence

Note.-The amount of fee payable shall be rupees two hund red in respect of an application for importlicence by a small cale actual user or a registered exporter, for the import of raw materials, components and spares where the value of the goods pacified in the application does not exceed rupees two lakhy.



असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II-Section 3-Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 243] No. 243] नई दिल्ली, शुक्रवार, अप्रैल 17, 2015/चैत्र 27,1937

NEW DELHI, FRIDAY, APRIL 17, 2015/CHAITRA 27, 1937

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(विदेशी व्यापार महानिदेशालय)

अधिसचना

नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2015

सा.का.नि. 300 (अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेशी व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् : —

- 1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विदेशी व्यापार (विनियमन) (संशोधन) नियम, 2015 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. विदेशी व्यापार (विनियमन) नियम, 1993 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के नियम 2 में, —
- (i) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —
- '(ग) "आयातकर्ता" या "निर्यातकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का आयात या निर्यात करता है और जिसके पास धारा 7 के अधीन दिया गया कोड संख्यांक है ;';
 - (ii) खंड (घ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —
- '(घ) "अनुज्ञप्ति प्राधिकारी" से धारा 9 की उपधारा (2) के अधीन किसी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत, जो इन नियमों के अधीन वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करते हों, अनुदत्त करने या उसका नवीकरण करने के लिए प्राधिकृत कोई प्राधिकारी अभिप्रेत हैं;';
 - (iii) खंड (ङ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात्: —
 - '(ङ) "नीति" से केंद्रीय सरकार द्वारा धारा 5 के अधीन विरचित और घोषित विदेश व्यापार नीति अभिप्रेत हैं ;';

- (iv) विद्यमान खंड (च) का लोप किया जाएगा और खंड (छ), खंड (ज), खंड (झ) और खंड (অ) को क्रमश: खंड (च), खंड (छ), खंड (ज) और खंड (झ) के रूप में पुन:अक्षरांकित किया जाएगा।
 - 3. उक्त नियम के नियम 4 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "4. वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने संबंधी अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई लिखत अनुदत्त करने के लिए आवेदन—ऐसा कोई व्यक्ति, जो अधिनियम की धारा 5 और धारा 3 के अधीन क्रमश: बनाई गई नीति के उपबंधों या किए गए आदेश के अनुसार माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात के संबंध में कोई अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करते हों, अनुदत्त करने के लिए आवेदन कर सकेगा।"।
 - 4. उक्त नियम के नियम 5 में,--
- (i) उपनियम (1) में, "अनुज्ञप्ति के संबंध में" शब्दों के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत के संबंध में, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करते हों," शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपनियम (1) और उपनियम (2) में, "अनुसूची" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "नीति" शब्द रखा जाएगा :
- (iii) उपनियम (3) में, खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "माल" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे ।
 - 5. उक्त नियम के नियम 6 में,--
- (i) शीर्ष में तथा उपनियम (1), उपनियम (2) और उपनियम (3) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करती हों," शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपनियम (1), उपनियम (2), उपनियम (3) और उपनियम (4) में, "माल" शब्द के स्थान पर, जहां-जहां वह आता है, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे।
 - 6. उक्त नियम के नियम 7 में,--
 - (i) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करती हों, अनुदत्त करने से इंकार किया जाना";

- (ii) उपनियम (1) और उपनियम (2) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत, जो वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करती हों," शब्द रखे जाएंगे ;
 - (iii) उपनियम (1) में,--
- (क) खंड (ग) में, अंत में आने वाले, "अंतर्विष्ट है" शब्दों के पश्चात्, "या जहां कोई व्यक्ति अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों या किए गए आदेशों या नीति के उपबंधों के उल्लंघन में कोई आयात या निर्यात करता है या करने का दुष्प्रेरण या प्रयास करता है" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
 - (ख) खंड (घ) में, "माल" शब्द के स्थान पर, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ग) खंड (च) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(च) आवेदक किसी ऐसी भागीदारी फर्म में (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) भागीदार है या था अथवा किसी ऐसी स्वत्वधारी फर्म का, जिसका नियंत्रक हित है, निदेशक या उसकी कंपनी या स्वत्वधारी है या था, जिसके विरूद्ध कोई कार्रवाई अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों के अधीन तत्समय लंबित है ;";
 - (घ) खंड (ढ) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(ढ) आवेदक ने अपने द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोडधारकों को अनुजेय सीमांत उत्पाद-शुल्क, शुल्क वापसी नकद प्रसुविधाएं या कोई अन्य समरूप प्रसुविधाएं, किसी मिथ्या, कपटपूर्ण या भ्रामक विवरण या किसी ऐसे दस्तावेज, जो मिथ्या या गढ़ा या बिगाड़ा हुआ है, के आधार पर अभिप्राप्त करने का प्रयत्न किया है या अभिप्राप्त किया है या गलती से दावा किया है।";

- (iv) उपनियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात :--
- "(3) आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोडधारक को अनुज्ञेय सीमान्त उत्पाद-शुल्क, शुल्क वापसी, नकद सहायता प्रसुविधाओं या कोई अन्य समरूप प्रसुविधाओं का, उसके द्वारा किए गए निर्यातों के संबंध में केंद्रीय सरकार या केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से गलती से संदाय होने की दशा में महानिदेशक या अनुज्ञापन प्राधिकारी, उस व्यक्ति को गलती से किए गए ऐसे संदाय के ब्यौरों के बारे में, जिसके लिए बकायों या दावों की वसूली की जानी है या जिनका समायोजन किया जाना है, उसे सूचित करते हुए लिखित सूचना देने के पश्चात् और ऐसे समय के भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट किया जाए, लिए में अभ्यावेदन करने का और यदि वह व्यक्ति सुने जाने की वांछा रखता है तो सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्,--
 - (क) भू-राजस्व के बकाया के रूप में प्रसुविधाओं की वसूली के ; या
 - (ख) अतिरिक्त दावों के समायोजन के,

कारणों को अभिलिखित करने के पश्चात्, प्राधिकृत कर सकेगा, परंतु यह तब जब न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का गलती से किए गए संदाय से संबंधित तथ्यों का समाधान हो जाता है।"।

- 7. उक्त नियमों के नियम 8 के शीर्ष और नियम में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे।
 - 8. उक्त नियमों के नियम 9 में.--
- (i) शीर्ष तथा उपनियम (1) और उपनियम (2) में, "अनुज्ञाति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आतां है, "तिस्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञान्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे :
 - (ii) उपनियम (1) में,--
 - (क) खंड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थातु :--
- "(क) कोई ऐसा व्यक्ति, यदि निरोध या दोषसिद्धि का कोई आदेश विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974 (1974 का 52) या धन शोधन निवारण अधिनियम, 2002 (2003 का 15) या विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) के उपबंधों के अधीन ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किया गया है; या";
 - (ख) खंड (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(ख) कोई भागीदारी फर्म (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) या कोई कंपनी या कोई फर्म या कोई अन्य इकाई, यदि खंड (क) में निर्दिष्ट व्यक्ति, यथास्थिति ऐसी फर्म या कंपनी का भागीदार है या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंध निदेशक या स्वत्वधारी है:";
- (ग) परंतुक में, "भागीदारी फर्म या कंपनी" शब्दों के स्थान पर, "भागीदारी फर्म (जिसके अंतर्गत सीमित दायित्व भागीदारी भी है) या कंपनी या फर्म या किसी अन्य इकाई" शब्द रखे जाएंगे।
 - 9. उक्त नियमों के नियम 10 में .--
- (i) शीर्ष तथा खंड (क), खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे :
- (ii) खंड (ख), खंड (ग) और खंड (घ) में, "अनुज्ञप्तिधारी" शब्द के स्थान पर, जहां कहीं वह आता है, "अनुज्ञप्तिधारी या आबंटिती" शब्द रखे जाएंगे।
 - 10. उक्त नियमों के नियम 11 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात :--
- "11. आयातित माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के मूल्य, मात्रा और क्वालिटी के बारे में घोषणा—किन्हीं माल के या सेवा या प्रौद्योगिकी से माल के किन्हीं सीमाशुल्क पत्तनों ने आयात करने या उनसे निर्यात करने पर, चाहे वे शुल्क के दायित्वाधीन हैं या नहीं, ऐसे माल का स्वामी सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के अधीन विहित प्रवेश पत्र या पोतपत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों में अपनी सर्वोत्तम जानकारी या विश्वास के अनुसार ऐसे माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल के मूल्य, मात्रा, क्वालिटी और वर्णन का कथन करेगा और ऐसे माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल का निर्यात करने की दशा में यह प्रमाणित करेगा कि उन दस्तावेजों में यथाकथित माल की या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल की क्वालिटी और विनिर्देश केता या समनुदेशिती के साथ की गई उस निर्यात संविदा के निबंधनों के अनुसार है, जिसके अनुसरण में माल या सेवा या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल का निर्यात किया जा रहा है और ऐसे कथन की सत्यता की घोषणा ऐसे प्रवेश पत्र या पोतपत्र या किन्हीं अन्य दस्तावेजों के पाद टिप्पण में करेगा।"।

- 11. उक्त नियमों के नियम 12 में,--
- (i) "किन्हीं माल" शब्दों के पश्चात्, "या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) अंत में आने वाले "आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड संख्यांक कथित करेगा।" शब्दों के पश्चात्, "आयातकर्ता-निर्यातकर्ता कोड का उपयोग करने वाला कोई अन्य व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करने का दायी होगा और तदनुसार धारा 11 की उपधारा (2) के अधीन शास्ति का दायी होगा।" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे।
 - 12, उक्त नियम के नियम 13 में,--
 - (i) शीर्ष के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्ष रखा जाएगा, अर्थात् :--

"आयातित माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी का उपयोग";

- (ii) उपनियम (1) में, "माल" शब्द के स्थान पर, "माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे ;
- (iii) उपनियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उपनियम खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(2) कोई भी व्यक्ति वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं पदान करने वाली अनुक्षप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य लिखत पर अपने द्वारा आयातित किन्हीं माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल का व्ययन वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुक्रप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी अन्य लिखत के निबंधनों और शर्तों के अनुसार करेगा अन्यथा नहीं।"
 - 13. उक्त नियमों के नियम 14 के उपनियम (1) और उपनियम (2) में,--
- (i) "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वह आता है, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) "कोई माल" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर, जहां वे आते हैं, "कोई माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी या ऐसी सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल" शब्द रखे जाएंगे।
 - 14. उक्त नियमों के नियम 15 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "15. परिसर में प्रवेश करने और माल, दस्तावेजों, चीजों और प्रतिहणों का निरीक्षण करने, तलाशी लेने तथा उसका अभिग्रहण करने की शक्ति—(1) धारा 10 की उपधारा (1) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकृत व्यक्ति कहा गया है) किसी उचित समय पर,--
- (क) किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जहां ऐसे माल या सामग्री, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें आयात या निर्यात के प्रयोजनों के लिए रखा गया है या छिपाया गया है, उनका भंडारण किया गया है या प्रसंस्करण किया गया है, विनिर्माण किया गया है, उनका व्यापार, प्रदाय किया गया है या प्राप्त किया है, उनका भंडारण किया गया है या प्रसंस्करण किया गया है, विनिर्माण किया गया है, उनका व्यापार, प्रदाय किया गया है या प्राप्त किया गया है अथवा जहां ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या चीजों [जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), जिसे इसमें इसके पश्चात सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहा गया है, के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें रखा गया है या छिपाया गया है; या
- (ख) किसी ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा जहां से ऐसी सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित सेवाओं या प्रौद्योगिकी या माल, जो अधिनियम के उपबंधों के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें आयात या निर्यात के प्रयोजन के लिए प्रदान किया गया है, उनका प्रदाय किया गया है, उन्हें प्राप्त किया गया है, उनका उपभोग या उपयोजन किया गया है या जहां ऐसी लेखा पुस्तकें या दस्तावेज या चीजों [जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21), जिसे इसमें इसके पश्चात् सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम कहा गया है, के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या सुसंगत है, के बारे में यह संदेह है कि उन्हें रखा गया है या छिपाया गया है:

परंतु खंड (ख) के उपबंध सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात की दशा में, केवल तभी लागू होंगे जब सेवा प्रदाता या प्रौद्योगिकी प्रदाता विदेशी व्यापार नीति के अधीन प्रसुविधा का उपभोग करता है या विनिर्दिष्ट सेवाओं अथवा विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकियों के संबंध में कार्य करता है;

- (ग) खंड (i) और खंड (ii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, किसी दरवाजे, संदूक, लाकर, तिजोरी, अलमारी या अन्य पात्र का ताला तोड़कर खोल सकेगा, जहां उसकी चाबी उपलब्ध नहीं हैं ;
- (घ) किसी ऐसे व्यक्ति की, जो परिसर से बाहर जा रहा है या परिसर में प्रवेश करने वाला है या जो परिसर में है, यदि प्राधिकृत अधिकारी के पास यह संदेह करने का कारण है कि ऐसे व्यक्ति ने अपनी ऐसी किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों को [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में बनाए रखे गए दस्तावेज भी हैं। या चीजों को, जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी या उससे सुसंगत होंगी, छिपाकर रखा हुआ है, तलाशी ले सकेगा।
- (ङ) ऐसे माल या सेवाओं अथवा प्रौद्योगिकी से संबंधित माल, सामग्री, लेखा बहियों, दस्तावेजों या चीजों का [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट हैं। निरीक्षण कर सकेगा और उनसे ऐसे टिप्पण, प्रतियां या उद्धरण ले सकेगा जो वह ठीक समझे या किसी व्यक्ति से, जिसके बारे में यह पाया जाता है कि उसके कब्जे या नियंत्रण में कोई लेखा बहियां या अन्य दस्तावेज [जिनके अंतर्गत 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में बनाए रखे गए दस्तावेज भी हैं। यह अपेक्षा कर सकेगा कि वह प्राधिकृत अधिकारी को ऐसी लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करे।
 - (2) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि,--
- (i) कोई आयातित माल या सामग्री या निर्यात संबंधी माल या सामग्री (जिसके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री भी है) अधिनियम के अधीन अधिहरण किए जाने की दायी है;
- (ii) कोई लेखा बहियां या दस्तावेज या चीजें [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होगी या उससे सुसंगत होंगी;

किसी परिसर में छिपाकर रखीं गई हैं, तो वह ऐसे परिसर में ऐसे माल सामग्री [जिनके अंतर्गत सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री भी है], लेखा बहियों, दस्तावेजों या चीजों अथवा सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' के लिए, जिसमें 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है, ऐसे परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उसकी तलाशी ले सकेगा।

(3)(क) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह विश्वास करने का कारण है कि कोई आयातित माल या सामग्री या निर्यात के लिए माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात से संबंधित माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] इस अधिनियम के अधीन अधिहरण किए जाने की दायी है तो वह ऐसे माल या सामग्री को, पैकेज, आवेष्टक या आद्यानों सहित, यदि कोई हो, जिनमें ऐसा माल या सामग्री को किसी अन्य माल या सामग्री के साथ मिश्रित किया गया पाया जाता है, अभिगृहीत कर सकेगा:

परंतु जहां ऐसे किसी माल या सामग्री का भौतिक कब्जा लेना और उसे उसके परिमाण, भार या अन्य भौतिक विशिष्टताओं के कारण या उसके खतरनाक प्रकृति के होने के कारण हटाना साध्य नहीं है, वहां प्राधिकृत अधिकारी स्वामी या ऐसे व्यक्ति पर, जिसके अव्यवहित कब्जे या नियंत्रण में ऐसा आयातित माल या सामग्री या निर्यात संबंधी माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री है, इस आदेश कर तामील कर सकेगा कि वह ऐसे माल या सामग्री को प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा के सिवाय न तो हटाएगा, अलग करेगा और न ही उसके संबंध में व्यौहार करेगा और प्राधिकृत अधिकारी की इस खंड के अधीन की कार्रवाई ऐसी मूल्यवान वस्तु या चीज का अभिग्रहण किए जाने की कार्रवाई समझी जाएगी।

(ख) जहां कोई माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है] का खंड (क) के अधीन अभिग्रहण किया जाता है और उसके संबंध में कोई सूचना माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री के अभिग्रहण के छह मास के भीतर नहीं दी जाती है, वहां माल या सामग्री उस व्यक्ति को लौटा दी जाएगी जिसके कब्जे में उन्हें अभिगृहीत किया गया था:

परंतु छह मास की पूर्वोक्त अवधि, पर्याप्त कारण दर्शित किए जाने पर, महानिदेशक द्वारा छह मास से अनिधिक की और अवधि के लिए बढ़ाई जा सकेगी ;

- (ग) प्राधिकृत व्यक्ति ऐसी किन्हीं लेखा बहियों या दस्तावेजों या चीजों को [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है], जो उसकी राय में अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यवाहियों के लिए उपयोगी होंगी या उससे सुसंगत होंगी, अभिगृहीत कर सकेगा;
- (घ) ऐसा व्यक्ति, जिसकी अभिरक्षा से कोई दस्तावेज इस उपनियम के अधीन अभिगृहीत किए जाते हैं, प्राधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति में उसकी प्रतियां बनाने या उससे उद्धरण लेने का हकदार होगा, जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' के रूप में बनाए रखे गए दस्तावेज भी है;

1756 51715-2

- (ङ) यदि कोई व्यक्ति, जो इस उपनियम के अधीन अभिगृहीत लेखा बहियों या अन्य दस्तावेजों या चीजों का [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट है। विधिक रूप से हकदार है, किसी भी कारण से प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा लेखा बहियों, या दस्तावेजों या चीजों को प्रतिधारित किए जाने के विरुद्ध आक्षेप करता है, तो वह केंद्रीय सरकार को एक आवेदन कर सकेगा, जिसमें ऐसे आक्षेप के कारणों का कथन करते हुए, उन लेखा बहियों या दस्तावेजों या चीजों को लौटाने का अनुरोध कर सकेगा;
- (च) उपखंड (ङ) के अधीन आवेदन प्राप्त होने पर, केंद्रीय सरकार आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसा आदेश पारित कर सकेगी, जो वह ठीक समझे।
- (छ) जहां कोई दस्तावेज या लेखा बहियां या माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत स्चना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में स्चना अंतर्विष्ट हैं] किसी व्यक्ति द्वारा पेश किया जाता है या दिया जाता है अथवा अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति की अभिरक्षा या उसके नियंत्रण से अभिगृहीत किया गया है/किए गए हैं या किसी व्यक्ति द्वारा धारा 11 में निर्दिष्ट किसी उल्लंघन के लिए अन्वेषण के दौरान भारत के बाहर के किसी स्थान से प्राप्त किया गया है और ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके द्वारा वह पेश किया जाता है या जिससे वह अभिगृहीत किया गया था, या ऐसे व्यक्ति या किसी ऐसे अन्य व्यक्ति के विरुद्ध, जिसके विरुद्ध संयुक्ततः कार्यवाही की जाती है, साक्ष्य में दिया जाता है, वहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट तत्प्रतिकूल किसी बात के होते हुए भी, जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न कर दिया जाए, यह उपधारणा करेगा कि,--
- (i) ऐसी लेखा बहियां, अन्य दस्तावेज, माल या सामग्री [जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित ऐसा 'कम्प्यूटर संसाधन' भी है, जिसमें इलैक्ट्रानिक अभिलेख के रूप में सूचना अंतर्विष्ट हैं] उस व्यक्ति (व्यक्तियों) की है ;
- (ii) ऐसी लेखा बहियां और अन्य दस्तावेज (जिनके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम के अधीन यथा परिभाषित 'इलैक्ट्रानिक अभिलेख' भी है) सही है ;
- (iii) ऐसे दस्तावेज के हस्ताक्षर और उसका प्रत्येक अन्य भाग, जिसका किसी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति के, जिसके बारे में न्यायनिर्णायक प्राधिकारी उचित रूप से यह धारणा कर सकेगा कि उसे किसी विशिष्ट व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षर किए गए हैं या वह उसके हस्तलेख में है, हस्तलेख में होना तात्पर्यित है, उस व्यक्ति के हस्तलेख में है, और निष्पादित या अनुप्रमाणित किसी दस्तावेज की दशा में, उसे उस व्यक्ति द्वारा निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया था, जिसके द्वारा उसे इस प्रकार निष्पादित या अनुप्रमाणित किया गया तात्पर्यित है,
- (iv) दस्तावेज को इस बात के होते हुए भी ग्रहण करेगा कि इस पर सम्यक् रूप से स्टाम्प नहीं लगा है, यदि ऐसा दस्तावेज साक्ष्य में अन्यथा ग्राह्य है।
- (4) यदि प्राधिकृत व्यक्ति के पास यह संदेह करने का कारण है कि किसी प्रवहण या पशु का किसी ऐसे आयातित माल या सामग्री या निर्यात के लिए माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री के, जो अधिनियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, परिवहन के लिए उपयोग किया जा रहा है या उपयोग किया जाने वाला है, और ऐसे परिवहन से अधिनियम के किसी उपबंध का उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या किसी समय किया जाने वाला है, तो वह ऐसे प्रवहण या पशु को रोक सकेगा या वायुयान की दशा में, उसे उतरने के लिए विवश कर सकेगा, और—
 - (क) प्रवहण या उसके किसी भाग की छानबीन कर सकेगा या तलाशी ले सकेगा;
- (ख) प्रवहण में के या पशु पर के किसी माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री की जांच कर संकेगा और तलाशी ले संकेगा ;
- (ग) यदि किसी प्रवहण या पशु को रोकना आवश्यक हो जाता है तो वह उसे रोकने के लिए सभी विधिपूर्ण साधनों का प्रयोग कर सकेगा और जहां ऐसे साधन निष्फल हो जाते हैं, वहां प्रवहण या पशु पर गोली दागी जा सकेगी,

और जहां उसका यह समाधान हो जाता है कि अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या किए गए आदेशों या नीति के किसी उपबंध का या वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने वाली किसी अनुज्ञप्ति प्रमाणपत्र, स्क्रिप या किसी लिखत की शर्त का उल्लंघन रोकने के लिए ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह ऐसे प्रवहण या पशु का अभिग्रहण कर सकेगा।

स्पष्टीकरण—इस नियम में प्रवहण के प्रति किसी निर्देश का, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, यह अर्थ लगाया जाएगा कि उसके अंतर्गत वायुयान, यान या जलयान के प्रति निर्देश है।

(5) प्राधिकृत अधिकारी, उपनियम (1) से उपनियम (4) में विनिर्दिष्ट सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उसे सहायता करने हेतु केंद्रीय सरकार के किसी पुलिस अधिकारी की या किसी अधिकारी की सेवाओं की अध्यपेक्षा कर सकेगा।"

- 15. उक्त नियमों के नियम 16 के उपनियम (1) के खंड (ii) और खंड (iii) में,--
- (क) "माल" शब्द के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वह आता है, "माल या सेवाएं या प्रौद्योगिकी या ऐसी सेवाओं और प्रौद्योगिकी से संबंधित माल" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ख) "आयातित माल" शब्दों के स्थान पर, "आयातित माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी" शब्द रखे जाएंगे।
 - 16. उक्त नियमों के नियम 17 में,--
 - (i) उपनियम (1) में,--
- (क) "किन्हीं ऐसे आयातित माल या सामग्री" शब्दों के स्थान पर, "किन्हीं ऐसे आयातित माल या सामग्री या निर्यात के लिए माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी के आयात या निर्यात से संबंधित माल या सामग्री" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ख) खंड (क) में "अनुज्ञप्ति" शब्द के स्थान पर, "वित्तीय या राजवित्तीय प्रसुविधाएं प्रदान करने के लिए अनुज्ञप्ति, प्रमाणपत्र, स्क्रिप या कोई अन्य लिखत" शब्द रखे जाएंगे ;
 - (ग) खंड (ग) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :--
- "(ग) ऐसे माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधत माल या सामग्री के विक्रय या व्ययन, आयात या निर्यात के संबंध में नीति के अधीन अधिरोपित किसी शर्त का,

उल्लंघन किया गया है, किया जा रहा है या करने का प्रयत्न किया गया है, किसी ऐसे पैकेज, आवरण या पात्र सिहत, जिसमें ऐसे माल, सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल पाए जाते हैं, न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगी और जहां ऐसे माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधत माल या सामग्री को किसी अन्य माल या सामग्री के साथ इस प्रकार मिला दिया जाता है कि उन्हें तुरंत अलग नहीं किया जा सकता, वहां ऐसा माल या सामग्री भी इस प्रकार अधिहरण किए जाने के दायित्वाधीन होंगी:

परंतु जहां न्यायनिर्णायक प्राधिकारी के समाधानप्रद रूप में यह सिद्ध कर दिया जाता है कि किन्हीं ऐसे माल या सामग्री का या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री का, जो इस नियम के अधीन अधिहरण के दायित्वाधीन है, वैयक्तिक उपयोग के लिए आयात किया गया था, न कि किसी व्यापार या उद्योग के लिए, वहां ऐसे माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री का अधिहरण करने के लिए आदेश नहीं किया जाएगा।

- (ii) उपनियम (2) में, "माल या सामग्री" शब्दों के स्थान पर, दोनों स्थानों पर जहां वे आते हैं, "माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री" शब्द रखे जाएंगे।
 - 17. उक्त नियमों के नियम 18 में,--
 - (i) उपनियम (1) में,--
- (क) "माल या सामग्री" शब्दों के स्थान पर, "माल या सामग्री या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या सामग्री" शब्द रखे जाएंगे :
 - (ख) "आयात किया गया है" शब्दों के स्थान पर, "आयात किया गया है या निर्यात के लिए अभिप्रेत है" शब्द रखे जाएंगे ;
- (ii) उपनियम (2) में, "माल या यात्रियों के परिवहन" शब्दों के स्थान पर, "माल या सेवाओं या प्रौद्योगिकी से संबंधित माल या यात्रियों के परिवहन" शब्द रखे जाएंगे।
 - 18. उक्त नियमों के अंत में संलग्न अनुसूची का लोप किया जाएगा।

[फा.सं. आई.पी.सी.4/5/640/जिल्द IX]

प्रवीर कुमार, महानिदेशक विदेश व्यापार

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं0 791(अ), तारीख 30 दिसंबर, 1993 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th April, 2015

- G.S.R. 300(E).—In exercise of the powers conferred by section 19 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby makes the following amendments in the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993, namely:—
- 1. Short title and commencement. (1) These rules may be called the Foreign Trade (Regulation) (Amendment) Rules, 2015.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.
- 2. In the Foreign Trade (Regulation) Rules, 1993 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2:
 - (i) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:
 - '(c) "importer" or "exporter" means a person who imports or exports goods or services or technology and holds a valid Importer-exporter Code Number granted under section 7;';
 - (ii) for clause (d), the following clause shall be substituted, namely:
 - '(d) "licensing authority" means an authority authorised under sub-section (2) of section 9 to grant or renew a licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits under these rules;';
 - (iii) for clause (e), the following clause shall be substituted, namely:
 - '(e) "Policy" means the foreign trade policy formulated and announced by the Central Government under section 5:'
 - (iv) existing clause (f) shall be deleted and clauses (g), (h), (i) and (j) shall be re-lettered as clauses (f), (g), (h) and (i) respectively.
- 3. For rule 4 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely:
- "(4) Application for grant of licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits. A person may make an application for the grant of a licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits to import or export goods or services or technology in accordance with the provisions of the policy or an order made under sections 5 and 3 of the Act respectively."
- 4. In rule 5 of the said rules, -
 - (i) in sub-rule (1), for the word "licence", the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rules (1) and (2) for the word "Schedule" occurring at both the places, the word "Policy" shall be substituted;
 - (iii) in sub-rule (3),in clauses (b), (c) and (d), for the word "goods", wherever it occurs, the words "goods or services or technology" shall be substituted.
- 5. In rule 6 of the said rules,
 - (i) in the heading and in sub-rules (1), (2) and (3), for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rules (1), (2), (3) and (4), for the word "goods", wherever it occurs, the words "goods or services or technology" shall be substituted.
- 6. In rule 7 of the said rules,
 - (i) for the heading, the following shall be substituted, namely: —
 - "Refusal to grant licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits and recovery of benefits":
 - (ii) in sub-rules (1) and (2), for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;
 - (iii) in sub-rule (1), —

- (a) in clause (c), after the word "statement" occurring at the end, the following words "or where any person makes or abets or attempts to make any export or import in contravention of any provision of the Act or any rules and orders made thereunder or the Policy" shall be added;
- (b) in clause (d), for the word "goods", the words "goods or services or technology" shall be substituted;
- (c) for clause (f), the following clause shall be substituted, namely: -
- "(f) the applicant is or was a partner in a partnership firm (including a limited liability partnership) or is or was a Director or a company or a proprietor of a proprietor ship firm having controlling interest against which any action is for the time being pending under the Act or rules and Orders made thereunder;";
 - (d) for clause (n), the following clause shall be substituted, namely: —
- "(n) the applicant has attempted to obtain or has obtained or has erroneously claimed Terminal Excise Duty, duty drawback, cash assistance benefits admissible to Importer-exporter Code holder or any other similar benefits from the Central Government or any agency authorised by the Central Government in relation to exports made by him on the basis of any false, fraudulent or misleading statement or any document which is false or fabricated or tampered with.":
- (iv) after sub rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely;
 - "(3) In case of any erroneous payment of Terminal Excise Duty, duty drawback, cash assistance benefits admissible to Importer-exporter Code holder or any other similar benefits from the Central Government or any agency authorised by the Central Government in relation to exports made by him, the Director General or the licensing authority may, after giving to that person a notice in writing informing him of the details of erroneous payment for which recovery or adjustment of arrears or claims is to be made and after giving a reasonable opportunity of making a representation in writing within such time, as specified therein and, if that person so desires, of being heard, authorise:
 - (a) recovery of benefits as arrears of land revenue; or
 - (b) by adjustment against future claims

after recording reasons in writing, provided the Adjudicating Authority is satisfied with the facts relating to erroneous payment.".

- 7. In rule 8 of the said rules, in the heading and the rule, for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted.
- 8. In rule 9 of the said rules,
 - (i) in the heading and in sub-rules (1) and (2), for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;
 - (ii) in sub-rule (1), --
 - (a) for clause (a) the following clause shall be substituted, namely:
 - "(a) any person, if an order of detention or conviction has been made against such person under the provisions of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) or the Prevention of Money Laundering Act, 2002 (15 of 2003) or Foreign Exchange Management Act, 1999 (42 of 1999);" or
 - (b) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely: -
 - "(b) a partnership firm (including a limited liability partnership) or a company or a firm or any other entity, if the person referred to in clause (a) is a partner or a whole time director or managing director or a proprietor, as the case may be, of such firm or company:";
 - (c) in the proviso, for the words "the partnership firm or company", the words and brackets "a partnership firm (including a limited liability partnership) or company or a firm or any other entity" shall be substituted.
- 9. In rule 10 of the said rules, -
 - (i) in the heading and in clauses (a), (b) (c) and (d), for the word "licence", wherever it occurs, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;
 - (ii) in clauses (b), (c) and (d) for the word "licensee", wherever it occurs, the words "licensee or transferee" shall be substituted.
- 10. For rule 11 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: —

17565715-3

"11. Declaration as to value, quantity and quality of imported goods or services or technology — On the importation into, or exportation out of, any customs ports of any goods or goods connected with services or technology, whether liable to duty or not, the owner of such goods shall in the Bill of Entry or the Shipping Bill or any other documents prescribed under the Customs Act, 1962 (52 of 1962), state the value, quantity, quality and description of such goods or goods connected with services or technology to the best of his knowledge and belief and in case of exportation of goods or services or technology, certify that the quality and specification of the goods or goods connected with services or technology as stated in those documents, are in accordance with the terms of the export contract entered into with the buyer or consignee in pursuance of which the goods or goods connected with services or technology are being exported and shall subscribe a declaration of the truth of such statement at the foot of such Bill of Entry or Shipping Bill or any other documents."

11. In rule 12 of the said rules, -

- (i) after the words "any goods", the words "or goods connected with services or technology" shall be added;
- (ii) after the words "competent authority" occurring at the end, the following words shall be added, namely:-

"Any person using someone else's Importer-exporter Code shall be held liable for violation of this rule and shall accordingly be liable for penalty under sub-section (2) of section 11."

12. In rule 13 of the said rules,-

- (i) for the heading, the following shall be substituted, namely; -
 - "Utilisation of imported goods or services or technology";
- (ii) in sub-rule (1), for the word "goods", the words "goods or services or technology" shall be substituted;
- (iii) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :-
- "(2) No person shall dispose of any good or goods connected with services or technology imported by him against a licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits except in accordance with the terms and conditions of such licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits.".
- 13. In rule 14 of the said rules, in sub-rules (1) and (2),
 - (i) for the word "licence", occurring at both the places, the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;
 - (ii) for the words "any goods", occurring at both the places, the words "any goods or services or technology or goods connected with such services or technology" shall be substituted.
- 14. For rule 15 of the said rules, the following rule shall be substituted, namely: --
 - "15. Power to enter premises and inspect, search and seize goods, documents, things and conveyances— (1) Any person authorised by the Central Government under sub-section (1) of section 10 (hereinafter called the authorised person) may, at any reasonable time—
 - (a) enter and search any premises where the goods or materials which are liable to confiscation under the provisions of the Act are suspected to have been kept or concealed, stored or processed, manufactured, traded or supplied or received for the purposes of import or export or where any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000), hereinafter referred to as IT Act, containing information in the form of 'electronic record' which, in his opinion, shall be useful for, or relevant to any proceedings under the Act are suspected to have been kept or concealed; or
 - (b) enter and search any premises from which the services or technology or goods connected with such services or technology which are liable to confiscation under the provisions of the Act, are suspected to have been provided, supplied, received, consumed or utilised for the purpose of import or export or where any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act, containing information in the form of 'electronic record] which, in his opinion, shall be useful for, or relevant to any proceedings under the Act are suspected to have been kept or concealed:

Provided that provisions of clause (b) shall be applicable, in case of import or export of services or technology, only when the service or technology provider is availing benefit under the foreign trade policy or is dealing with specified services or specified technologies;

(c) break open the lock of any door, box, locker, safe, almirah or other receptacle for exercising the powers conferred by clauses (i) and (ii) where the keys thereof are not available;

- (d) search any person who has got out of, or is about to get into, or is in the premises, if the authorised officer has reason to suspect that such person has secreted about his person any such books of account or documents [including documents maintained in the form of 'electronic record' as defined under the IT Act] or things which, in his opinion, shall be useful for, or relevant to any proceedings under the Act; and
- (e) may inspect such goods or goods connected with services or technology, materials, books of accounts, documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] and may take such notes, copies or extracts therefrom as he may think fit or require any person who is found to be in possession or control of any books of account or other documents [including documents maintained in the form of 'electronic record], to afford the authorised officer the necessary facility to inspect such books of account or other documents.
- (2) If the authorised person has reasons to believe that —
- (i) any imported goods or materials or goods or material for export (including goods or materials connected with services or technology) are liable to confiscation under the Act; or
- (ii) any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] which, in his opinion, will be useful for or relevant to, any proceedings under the Act,

are secreted in any premises, he may enter into and search such premises for such goods, materials (including goods or materials connected with services or technology), books of accounts, documents or things or 'computer resource' as defined under the 11 Act containing information in the form of 'electronic record'.

(3) (a) If the authorised person has reason to believe that any imported goods or materials or goods or materials for export or goods or materials [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] connected with import or export of services or technology are liable to confiscation under the Act, he may seize such goods or materials together with the package, covering or receptacle, if any, in which such goods or materials are found to have been mixed with any other goods or materials:

Provided that where it is not practicable to take physical possession of any such goods or materials and remove it to a safe place due to its volume, weight or other physical characteristics or due to its being of a dangerous nature, the authorised officer may serve an order on the owner or the person who is in immediate possession or control of such imported goods or materials or goods or materials for export or goods or materials connected with import or export of services or technology that he shall not remove, part with or otherwise deal with such goods or materials, except with the previous permission of the authorised officer and action of the authorised officer shall be deemed to be seizure of such valuable article or thing under this clause;

(b) where any goods or materials or goods or materials [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] connected with services or technology are seized under clause (a) and no notice in respect thereof is given within six months of the seizure of the goods or materials or goods or materials connected with services or technology, the goods or materials shall be returned to the person from whose possession they were seized:

Provided that the aforesaid period of six months may, on sufficient cause being shown, be extended by the Director General for a further period not exceeding six months;

- (c) the authorised person may seize any books of accounts or documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] which in his opinion, will be useful for, or relevant to, any proceedings under the Act;
- (d) the person from whose custody any documents are seized under this sub-rule, shall be entitled to make copies thereof or take extracts therefrom in the presence of the authorised person including documents maintained in the form of 'electronic record' as defined under the IT Act;
- (e) if any person legally entitled to the books of account or other documents or things [including 'computer resource' as defined under the IT Act] seized under this sub-rule objects, for any reason, to the retention by the authorised person of the books of account or the documents or things, he may move an application to the Central Government stating therein the reasons for such objection, request for the return of the books of account or documents or things;
- (f) on receipt of the application under clause (e), the Central Government may, after giving the applicant an opportunity of being heard, pass such order as it may think fit;
- (g) where any document or book of accounts or goods or materials [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] is/are produced or furnished by any person or have been seized from the custody or control of any person under the Act or have been received from any place outside India in the course of the investigation for any contravention referred to in section 11 by any person and 1756 < 15 4

such document is tendered in evidence against the person by whom it is produced or from whom it was seized or against such person or any other person who is jointly proceeded against, the Adjudicating Authority shall, notwithstanding anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, presume, unless the contrary is proved —

- (i) that such books of account, other documents, goods and materials [including 'computer resource' as defined under the IT Act containing information in the form of 'electronic record'] belong to or belongs to such person(s);
- (ii) that the contents of such books of account and other documents[including 'electronic record' as defined under the IT Act] are true;
- (iii) that the signature and every other part of such document which purports to be in the handwriting of any particular person of which the Adjudicating Authority may reasonably assume to have been signed by or to be in the handwriting of any particular person, is under the person's handwriting, and in the case of a document executed or attested, it was executed or attested by the person by whom it purports to have been so executed or attested; and
- (iv) admit the document in evidence notwithstanding that it is not duly stamped, if such document is otherwise admissible in evidence.
- (1) The authorised person, may, if he has reason to suspect that any conveyance or animal is being or is about to be used for the transportation of any imported goods or material or goods or materials for export or goods or material connected with services or technology which are liable to confiscation under the Act, and that by such transportation any provision of the Act has been, is being or is about to be contravened at any time, stop such conveyance or animal or in the case of aircraft compel it to land, and
 - (a) rummage and search the conveyance or any part thereof;
 - (b) examine and search any goods or material or goods or materials connected with services or technology in the conveyance or on the animal;
 - (c) if it becomes necessary to stop any conveyance or animal, he may use all lawful means for stopping it and where such means fail, the conveyance or animal may be fired upon,

and where he is satisfied that it is necessary so to do to prevent the contravention of any provision of the Act or of the rules and orders made thereunder or the Policy or condition of any licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits, he may seize such conveyance or animal.

Explanation – Any reference in this rule to a conveyance shall, unless the context otherwise requires, be construed as including a reference to an aircraft, vehicle or vessel.

- (5) The authorised officer may requisition the services of any police officer or of any officer of the Central Government, or of both, to assist him for all or any of the purposes specified in sub-rules (1) to (4) and it shall be the duty of every such officer to comply with such requisition.
- 15. In rule 16 of the said rules,-in sub-rule (1), in clauses (ii) and (iii),
 - (a) for the word "goods", occurring at both the places, the words "goods or services or technology or goods connected with such services and technology" shall be substituted;
 - (b) for the words "imported goods", occurring at the end of both the places, the words "imported goods or services or technology" shall be substituted.

16. In rule 17 of the said rules, -

- (i) in sub-rule (1),-
 - (a) for the words "Any imported goods or materials", the words "Any imported goods or materials or goods or materials for export or goods or materials connected with import or export of services or technology" shall be substituted;
 - (b) in clause (a), for the word "licence", the words "licence, certificate, scrip or any instrument bestowing financial or fiscal benefits" shall be substituted;
 - (c) for clause (c), the following clause shall be substituted, namely:-
 - "(c) any condition imposed under the Policy with regard to the sale, disposal, import or export of such goods or materials or goods or materials connected with services or technology;

has been, is being, or is attempted to be contravened, shall together with any package, covering or receptacle in which such goods or goods connected with services or technology are found, be liable to the confiscated by the Adjudicating Authority, and where such goods or materials or goods or materials connected with services or technology are so mixed with any other goods or materials that they cannot be readily separated, such other goods or materials shall also be liable to be so confiscated:

Provided that where it is established to the satisfaction of the Adjudicating Authority that any goods or materials or goods or materials connected with services or technology which are liable to confiscation under this rule, had been imported for personal use, and not for any trade or industry, such goods or materials or goods or materials connected with services or technology shall not be ordered to be confiscated.";

- (ii) in sub-rule (2), for the words "goods or materials", occurring at both the places, the words "goods or materials or goods connected with services or technology" shall be substituted.
- 17. In rule 18 of the said rules;-
 - (i) in sub-rule (1),
 - (a) for the words "goods or materials", the words "goods or materials or goods or materials connected with services or technology" shall be substituted;
 - (b) for the word "imported", the words "imported or meant for export" shall be substituted;
 - (ii) in sub rule (2), for the words "transport of goods", the words "transport of goods or goods connected with services or technology" shall be substituted.
- 18. In the said rules, the schedule appended at the end shall be deleted.

[F. No. IPC/4/5/640/Vol.IX]

PRAVIR KUMAR, Director General of Foreign Trade

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Part II, Section 3, Sub-Section (i) vide number G.S.R.791 (E), dated the 30th December, 1993.



EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

ਜਂ. 230] No. 230] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 24, 2012/ज्येष्ठ 3, 1934 NEW DELHI, THURSDAY, MAY 24, 2012/JYAISTHA 3, 1934

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 मई, 2012

सा.का.नि. 381(अ).—केन्द्रीय सरकार, विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 9क की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शिक्तयों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सुरक्षा उपाय (परिमाणात्मक निर्बंधन) नियम, 2012 है ।

ार्थकातिह एका विष

- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- 2. परिभाषाएं.—(1) इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों,
- (क) ''अधिनियम'' से विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) अभिप्रेत है;
- (ख) ''प्राधिकृत अधिकारी'' नियम 3 से उप-नियम (1) को अधीन ऐसे रूप में अभिहित प्राधिकृत अधिकारी अभिप्रेत है;
- (ग) ''बढ़ी हुई मात्रा'' में देशीय उत्पादन के चाहे निरपेक्ष निबंधन में हो या सापेक्ष हों आयात में वृद्धि सिम्मिलित है;
- (घ) ''हितबद्ध पक्षकार'' में निम्नलिखित सम्मिलित है, স্ক্রিয়ের চার্চার ক্রিয়ার ক্রিয়ার ক্রিয়ার ক্রিয়ার ক্রিয়ার
 - (i) किसी माल का निर्यातकर्ता या विदेशी उत्पादक या आयातकर्ता (जो सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधनों के अधिरोपण के प्रयोजनों के लिए अन्वेषण के अध्यधीन हैं) या व्यापार या कारबार संगम, अधिकांश ऐसे सदस्य जो ऐसे माल के उत्पादक, निर्यातकर्ता या आयातकर्ता हैं;
 - (ii) निर्यातक देश की सरकार; और

- (iii) भारत में समान माल या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक मालों के उत्पादक या व्यापार या कारबार संगम, ऐसे अधिकांश ऐसे सदस्य जो भारत में समान माल या प्रत्यक्ष रूप से प्रतिस्पर्धात्मक मालों का उत्पादन करते हैं या व्यापार करते हैं;
 - (ड) "समान माल" से वह माल अभिप्रेत है जो अन्वेषण के अधीन मामलों के संबंध में सभी प्रकार सेसमरुप या समान रुप से है, या ऐसे मालों की अनुपस्थिति में अन्य माल जो अन्वेषण के अधीन उन मालों के निकट सदृश रुप से विशिष्टताएं रखते हैं;
- (च) "परिमाणात्मक निर्बधन" से अधिनियम के अधीन सुरक्षा उपाय के रूप में अधिरोपित माल की मात्रा पर,कोई विनिर्दिष्ट सीमा अभिप्रेत है ;
- (छ) "विनिर्दिष्ट देश" से कोई ऐसा देश या राज्यक्षेत्र अभिप्रेत जो विश्व व्यापार संगठन का सदस्य है और जिसमें वह देश या राज्यक्षेत्र सम्मलित है जिसके साथ भारत सरकार ने अधिकतम प्रोत्साहित किए गए राष्ट्र के प्रति व्यवहार करते हुए करार किया है।
- (2) वह शब्द और पद जिनका यहां प्रयोग किया गया है, परिभाषित नहीं है किंतु अधिनियम में उन्हें परिभाषित किया गया है, उनके वही अर्थ होंगे जो क्रमशः अधिनियम में समनुदेशित हैं।
- 3. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वधनों के बारे में जांच करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी का उत्तर दायित्व (1) केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इन नियमों के प्रयोजन के लिए अन्वेषण करने के लिए प्राधिकृत अधिकारी के रूप में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार की पंक्ति के अन्यून किसी अधिकारी को अभिहित करेगी।
- (2) प्राधिकृत अधिकारी, सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधिरोपण और केन्द्रीय सरकार की उसमें आवश्यक सिफारिशें करने के प्रयोजन के लिए धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन अन्वेषण संचालित करने के लिए उत्तरदायी होगा।
- (3) विदेश व्यापार महानिदेशालय सचिवीय सहायता और ऐसे अन्य व्यक्तियों की सेवाएं और ऐसी अन्य सुविधाएं प्रदान करेगा जो वह ठीक समझे !
- प्राधिकृत अधिकारी के कर्तव्य प्राधिकृत अधिकारी का यह कर्तव्य होगा -
- (क) भारत में आयात की वृद्धि के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका की विद्यमानता का अन्वेषण करना ;
 - (ख) सुरक्षा उपाय के रूप में परिमाणात्मक निर्बंधनों के लिए दायी मालों की पहचान करना ;
- (ग) विनिर्दिष्ट देश से भारत में माल के आयात में वृद्धि के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग की गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका के बारे में केन्द्रीय सरकार को अपने निष्कर्ष प्रस्तुत करना ।
 - (घ) निम्नलिखित के लिए सिफारिश करना -

- (i) परिमाणात्मक निर्वंधनों की प्रकृति और विस्तार जो यदि अधिरोपित है, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका को हटाने के लिए पर्याप्त होगी; और
- (ii) सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधनों के अधिरोपण की अवधि और जहां वह अवधि जो एक वर्ष से अधिक के लिए इस प्रकार सिफारिश की गई है, सार्थक समायोजन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त प्रगतिशील उदारीकरण की सिफारिश करना ; और
- (ड) सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों की निरंतरता की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करना ।
- 5. अन्वेषण का प्रारंभ होना (1) प्राधिकृत अधिकारी, समान माल या प्रत्यक्ष प्रतियोगी माल के घरेलू उत्पादक के लिखित आवेदन की प्राप्ति पर ऐसी बढ़ी मात्रा, घरेलू उत्पादन के सापेक्ष या निरपेक्ष में माल की आयात द्वारा गंभीर क्षति की आशंका की विद्यमानता का अवधारण करने के लिए लिखित आवेदन की प्राप्ति पर अन्वेषण प्रारंभ करेगा।
 - (2) उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन इन नियमों से उपाबद्ध प्ररुप में किया जाएगा और निम्नलिखित द्वारा समर्थित होगा -
 - (क) निम्नलिखित का साक्ष्य -
 - (i) अप्रत्याशित विकास के परिणामस्वरुप बढ़ा हुआ आयात
 - (ii) घरेलू उद्योग को गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका ; और
 - (iii) आयातों और अभिकथित गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध ;
 - (ख) आयातों के कारण प्रतिरपर्धा में वृद्धि के प्रति सार्थक समायोजन करने के लिए किए जा रहे प्रयत्न, या बनाई जाने वाली योजनाएं या दोनों पर एक विवरण ; और
 - (ग) यह उल्लेख करते हुए एक विवरण की क्या अन्वेषण के अधीन माल पर सुरक्षा कार्य को आरंभ करने के लिए कोई आवेदन महानिदेशक सुरक्षा, राजस्व विभाग को भी प्रस्तुत किया गया है।
 - (3) प्राधिकृत अधिकारी उपनियम (1) के अधीन किए गए किसी आवेदन के अनुसरण में कोई अन्वेषण तब तक प्रारंभ नहीं करेगा जब तक वह आवेदन में दिए गए साक्ष्य की शुद्धता और पर्याप्तता की जांच न कर ले और स्वयं का समाधान कर ले कि निम्नलिखित के बारे में पर्याप्त साक्ष्य है -
 - (क) बढ़ा हुआ आयात ;
 - (ख) गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका ; और
 - (ग) बढ़े हुए आयातों और अभिकथित गंभीर क्षति या गंभीर क्षति की आशंका के बीच कारणात्मक संबंध ।

- (4) उपनियम (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकृत अधिकारी स्वप्रेरणा से अन्वेषण आरंभ कर सकेगा, यदि किसी स्रोत से प्राप्त सूचना से उसका समाधान हो जाता है कि उपधारा (3) के खंड (क), खंड (ख), या खंड (ग) में यथारुप से निर्दिष्ट पर्याप्त साक्ष्य विद्यमान हैं ।
 - 6. अन्वेषण संचालित करने वाले सिद्धांत- (1) भारत में माल के बढ़े आयात के परिणामस्वरुप प्राधिकृत अधिकारी, घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति या गंभीर क्षिति की आशंका का अवधारण करने के लिए अन्वेषण आरंभ करने का विनिश्चय करने के पश्चात् अपने विनिश्चय को अधिसूचित करने की सार्वजनिक सूचना जारी करेगा जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर सूचना अंतर्विष्ट होगी, अर्थात् -
 - (क) निर्यातक देशों के नाम, अंतवर्लित माल और आयात की मात्रा ;
 - (ख) अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख ;
 - (ग) उन तथ्यों का संक्षिप्त विवरण जिन पर गंभीर क्षति या गंभीर क्षति का आशंका के अभिकथन आधारित हैं ;
 - (घ) अन्वेषण के प्रारंभ किए जाने के लिए कारण ;
 - (ঙ্ৰ) वह पता जिसमें हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अभ्यावेदन निदेशित किया जाना चाहिए ; और
 - (च) उनके विचारों को ज्ञात करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अनुज्ञात समय-सीमा ।
 - (2) प्राधिकृत अधिकारी, केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और संबद्ध अन्य मंत्रालयों, को माल के ज्ञात निर्यातकर्ताओं, संबद्ध निर्यातक देशों की सरकारों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को सार्वजनिक सूचना की एक प्रति अग्रेषित करेगी ।
 - (3) प्राधिकृत अधिकारी नियम 5 के उपनियम (1) में निर्दिष्ट आवेदन की एक प्रति भी निम्निलिखित को प्रदान करेगा -
 - (क) ज्ञात निर्यातकर्ता या संबद्ध व्यापार संगम ;
 - (ख) निर्यातक देशों की सरकारें , और
 - (ग) केन्द्रीय सरकार का वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय:

परंतु प्राधिकृत अधिकारी किसी अन्य हितबद्ध व्यक्ति को लिखित में अनुरोध करने पर आवेदन की एक प्रति भी उपलब्ध कराएगा ।

(4) प्राधिकृत अधिकारी निर्यातकर्ताओं, विदेशी उत्पादकों और निर्यातक देशों की सरकारों से कोई जानकारी मांगने के लिए सूचना ऐसे रूप में जारी कर सकेगा जो सूचना में विनिर्दिष्ट की जा सके और ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अविध के भीतर जो पर्याप्त कारण दर्शाने पर प्राधिकृत अधिकारी अनुज्ञात कर सके, लिखित में ऐसे व्यक्तियों और सरकारों द्वारा प्रस्तुत की जाएगी।

स्पष्टीकरण - इस नियम के प्रयोजन के लिए सार्वजनिक सूचना और अन्य दस्तावेज उस तारीख के पश्चात् एक सप्ताह के भीतर प्राप्त हुए समझे जाएंगे जिसमें यह दस्तावेज प्राधिकृत अधिकारी द्वारा हितबद्ध पक्षकारों को पारेषण के क्रम में रखे गए थे।

- (5) प्राधिकृत अधिकारी अन्वेषण के अधीन माल के औद्योगिक उपयुक्ताओं और उपभोक्ता संगठनों के प्रतिनिधियों को उन मामलों में अवसर प्रदान करेगा जहां माल सूचना प्रस्तुत करने के लिए फुटकर स्तर पर समान रुप से विक्रीत है जो अन्य बातों के साथ उनके विचार को सम्मिलित करते हुए अन्वेषण करने के लिए सुसंगत है यदि सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन का अधिरोपण लोकहित में है या नहीं।
- (6) प्राधिकृत अधिकारी मौखिक अन्वेषण से संबंधित सुसंगत सूचना प्रस्तुत करने के लिए किसी हितबद्ध पक्षकार या उसके प्रतिनिधि को अनुज्ञात कर सकेगा किंतु ऐसी मौखिक सूचना पर प्राधिकृत अधिकारी द्वारा तभी विचार किया जाएगा जब पश्चातवर्ती रुप से इसे लिखित में प्रस्तुत किया गया हो ।
- (7) प्राधिकृत अधिकारी किसी एक पक्षकार द्वारा इसको प्रस्तुत साक्ष्य अन्वेषण में भाग ले रहे सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उपलब्ध कराएगा ।
- (8) यदि जहां कोई हितबद्ध पक्षकार पहुंच से इनकार करता है या अन्यथा युक्तियुक्त अविध के भीतर आवश्यक सूचना प्रदान नहीं करता है या अन्वेषण में महत्वपूर्ण रूप से अड़चन डालता है वहां प्राधिकृत अधिकारी उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपने निष्कर्षों को अभिलिखित करेगा और केन्द्रीय सरकार को ऐसी सिफारिशें करेगा जो ऐसी परिस्थितियों के अधीन ठीक समझी जाएं।
- 7. गोपनीय सूचना -(1) नियम 6 के उपनियम (1), उपनियम (3) और उपनियम (7) तथा नियम 9 की उपनियम (5) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी कोई सूचना जो प्रकृतिस्वरुप गोपनीय है या जिसे गोपनीयता के आधार पर प्रदान किया गया है कारण दर्शित करने पर उसे प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बरता जाएगा और ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए पक्षकार के विनिर्दिष्ट प्राधिकार के बिना प्रकट नहीं किया जाएगा।
- (2) प्राधिकृत अधिकारी उसकी गैर-गोपनीय सारांश को प्रस्तुत करने के लिए गोपनीयता के आधार पर सूचना प्रदान करने वाले पक्षकारों से अपेक्षा कर सकेगा और यदि ऐसी सूचना प्रदान करने वाले पक्षकार की राय में ऐसी सूचना का सारांशिकृत नहीं किया जा सकता है तो ऐसा पक्षकार कारणों का कथन प्राधिकृत अधिकारी को प्रस्तुत कर सकेगा कि क्यों ऐसी सूचना का सारांशिकरण संभव नहीं है।
- (3) उपनियम (2) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते भी, यदि प्राधिकृत अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि गोपनीयता के अनुरोध का औचित्य नहीं है या सूचना का प्रदायकर्ता या तो जनता में सूचना देने के लिए या तो व्यापक या संक्षेप रूप में इसके प्रकटीकरण को प्राधिकृत करने के लिए अनिच्छुक है तो यह ऐसी सूचना का तब तक तिरस्कार कर सकेगा जब तक समुचित स्रोतों से इसके समाधान के लिए यह संकेत नहीं मिल जाता की ऐसी सूचना सही है।

- 8. गंभीर क्षित या गंभीर क्षित की आशंका का अवधारण प्राधिकृत अधिकारी घरेलू उद्योग को गंभीर क्षित या गंभीर क्षित का आशंका के आवधारण को ध्यान में रखते हुए अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित सिद्धांतों का अनुसरण करेगा, अर्थात् :-
- (क) यह यह अवधारण करने के लिए कि अन्वेषण में क्या बढ़े हुए आयातों से घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति हुई है या गंभीर क्षिति होने की आशंका हुई है, प्राधिकृत अधिकारी उस उद्योग की स्थिति वाले किसी उद्देश्य और परिमाणनीय प्रकृति के सभी सुसंगत कारकों विशिष्टतया निरपेक्ष और साक्षेप में संबद्ध माल के आयातों के वृद्धि की दर और रकम बढ़े आयातों द्वारा घरेलू बाजार में शेयरों, विक्रय के रतर में परिवर्तनों, उत्पादक, उत्पादकता, क्षमता उपयोगीकरण, लाभ और हानियां तथा नियोजन, का मूल्यांकन करेगा, और ;
- (ख) खंड (क) में निर्दिष्ट अवधारण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक अन्वेषण, वस्तु साक्ष्य संबद्ध मालों के बढ़े हुए आयात और उसकी गंभीर क्षति या आशंका के बीच कारणात्मक संबंध की विद्यमानता के आधार पर संकेत न दें :

परंतु जब बढ़े आयातों से भिन्न कारकों से उसी समय घरेलू उद्योग को क्षिति का हो रही है तब ऐसी क्षिति का बढ़े हुए आयातों में आरोपण नहीं किया जाएगा और ऐसे मामलों में प्राधिकृत अधिकारी परिवाद को प्रतिपाटन या प्रतिशुल्क अन्वेषणों के लिए प्राधिकारी को परिवाद मेज सकेगा जो समुचित हो।

- 9. अंतिम निष्कर्ष (1) प्राधिकृत अधिकारी अन्वेषण के प्रारंभ की तारीख से आठ मास के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जो केन्द्रीय सरकार यह अवधारित करने के लिए अनुज्ञात करें कि क्या अन्वेषणाधीन मालों के बढ़े हुए आयातों के अप्रत्याशित विकासों के परिणामस्वरुप घरेलू उद्योग को आशंका या गंभीर क्षित कारित हुई है और बढ़े हुए आयातों और गंभीर क्षिति या गंभीर क्षिति का आशंका के बीच कारणात्मक संबंध विद्यमान हैं, अनुज्ञात करेगा और निम्नलिखित के लिए सिफारिश करेगा -
- (i) परिमाणात्मक निर्बंधन यदि अधिरोपित किए जाते हैं, के विस्तार और प्रकृति 'गंभीर क्षति' के रोकने या यथास्थिति उपचार करने और सार्थक समायोजन के सुकुर बनाने के लिए पर्याप्त होंगे;
- (ii) परिमाणात्मक निर्बंधनों का विस्तार जिससे कि आयातों का परिमाण हाल की अविध के रतर के नीचे आयातों की मात्रा से कम नहीं हुआ है जो अंतिम तीन प्रतिनिधित्व वर्षों में औसत आयात होगा जिसके लिए सांख्यिकी उपलब्ध है और औचित्य यदि विभिन्न स्तर, गंभीर क्षति को रोकने या उपचार करने के लिए आवश्यक है;
- (iii) प्रदायकर्ता देशों के बीच आबंटित किए जाने वाला कोटा और ऐसे विनिर्दिष्ट देशों के लिए कोटा में शेयरों का आबंटन जिसका माल के प्रदाय में सारवान हित है;

- (iv) परिमाणात्मक निर्बंधनों के अधिरोपण की अवधि और जहां परिमाणात्मक निर्वंधनों के अधिरोपण की अवधि एक वर्ष से अधिक है वहां प्रगतिशील उदारीकरण सार्थक समायोजन को सुकर
- (2) अंतिम निष्कर्ष यदि सकारात्मक हैं तो तथ्यों और विधि के विषयों पर सभी सूचनाएं अंतर्विष्ट होंगी और वह कारण जिनसे निष्कर्ष निकलना हो ।
- (3) प्राधिकृत अधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षो को अभिलिखित करने वाली एक सार्वजनिक सूचना जारी करेगा ।
- (4) प्राधिकृत अधिकारी अपने अंतिम निष्कर्षों के संबंध में सार्वजनिक सूचना की एक प्रति केन्द्रीय सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय और उसकी एक प्रति हितबद्ध पक्षकारों को भेजेगा।
- 10. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधनों का अधिरोपण केन्द्रीय सरकार, प्राधिकृत अधिकारी की सिफारिश पर आधारित अधिनियम की धारा 9क की उपधारा (1) के अधीन राजपत्र में अधिसूचना द्वारा अंतिम अवधारण के अधीन आने वाले माल के भारत में आयातीकरण पर उस परिणाम या मात्रा जो गंभीर क्षिति को रोकने या उपचार करने और समायोजन सुकर बनाने के लिए पर्याप्त पाया गया है, से अनिधक सुरक्षा परियाणात्मक निर्वंधन का अधिरोपण कर सकेंगी।
- 11. गैर-विभेदकारी आधार पर सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधनों का अधिरोपण इन नियमों के अधीन मालों पर अधिरोपित कोई सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधन गैर-विभेदकारी आधार पर इसके स्रोत पर ध्यान दिए बिना मालों के सभी आयातों पर लागू होंगे ।
- 12. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधनों के प्रारंभ की तारीख इन नियमों के अधीन ऐसे परिमाणात्मक निर्वंधनों को अधिरोपित करने वाले उद्गृहीत सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधन राजपत्र में अधिरूचना की तारीख से प्रभावी होंगे।
- 13. अवधि (1) नियम 10 के अधीन अधिरोपित सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधन ऐसे समय की अवधि के लिए होंगे जो गंभीर क्षति को रोकने या उपचार करने और समायोजन को सुकर बनाने के लिए आवश्यक हो सकें।
- (2) उपनियम (1) अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी नियम 10 के अधीन अधिरोपित सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन पूर्व में तब तक प्रतिसंहत नहीं किए जाएंगे जब तक इसके अधिरोपण की तारीख से चार वर्ष की अविध की समाप्ति न हो :

परंतु यदि केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि घरेलू उद्योग ने ऐसी गंभीर क्षिति या उसकी आशंका का समायोजन करने के लिए उपाय किए हैं और यह आवश्यक है कि सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन ऐसी गंभीर क्षिति या आशंका को रोकने के लिए और समायोजन के सुकर बनाने के लिए अधिरोपित किए जाने के लिए जारी रहने चाहिए, यह चार वर्ष की अवधि को बढ़ा सकेगी:

परंतु यह और कि किसी भामले में सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वधन उस तारीख से दस वर्ष की अविध से परे अधिरोपित होना जारी नहीं होंगे जिसको ऐसा निर्वधन पहली बार अधिरोपित किए गए

- 14. सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वधनों का उदारीकरण यदि नियम 10 के अधीन अधिरोपित सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वधनों की अवधि एक वर्ष से अधिक है तो निर्वधन इसके अधिरोपण की अवधि के दौरान नियमित अंतराल पर प्रगतिशील रूप से उदार बनाए जाएंगे ।
- 15. पुनर्विलोकन (1) प्राधिकृत अधिकारी समय-समय पर सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधनों के जारी अधिरोपण की आवश्यकता का पुनर्विलोकन करेगा और यदि प्राप्त सूचना के आधार पर उसका समाधान हो जाता है कि -
- (क) गंभीर क्षिति को रोकने या उपचार करने के लिए सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन आवश्यक हैं और यह साक्ष्य हैं कि उद्योग सार्थक रूप से समायोजन कर रहा है, तो यह परिमाणात्मक निर्वंधनों के अधिरोपण को जारी करने के लिए केन्द्रीय सरकार को सिफारिश कर सकेगा ।
- (ख) ऐसे निर्वधन को जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है : केन्द्रीय सरकार से इसकी वापसी के लिए सिफारिश कर सकेगा :

परंतु जहां सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन के अधिरोपण की अविधि तीन वर्ष से अधिक है वहां प्राधिकृत अधिकारी ऐसे अधिरोपण के मध्य अविध के अपश्चात् स्थिति का पुनर्विलोकन करेगा और यदि समुचित है तो ऐसे सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधनों की वापसी या परिमाणात्मक निर्वंधनों के उदारीकरण को बढ़ाने के लिए सिफारिश करेगा ।

- (2) उपनियम (1) के अधीन आरंभ किया गया कोई पुनर्विलोकन ऐसी पुनर्विलोकन के आरंभ की तारीख से आठ मास की अनधिक अवधि के भीतर या ऐसी बढ़ाई गई अवधि के भीतर जिसे केन्द्रीय सरकार अनुज्ञात कर सके, समाप्त किया जाएगा ।
- (3) नियम 5, नियम 6, नियम 7 और नियम 9 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित इस नियम के अधीन पुनर्विलोकन के मामले में लागू होंगे ।

[फा. सं. 01/92/180/106/एएम 11/पीसी-VI/पीआरए] अनूप के. पुजारी, महानिदेशक, विदेश व्यापार

प्ररु प

[नियम 5(2) देखिए]

सुरक्षा अन्वेषण के लिए आवेदक द्वारा प्रदान की जाने वाली सूचना

अंतर्वस्तु की सारणी

- खंड 1 साधारण सूचना
- खंड 2 उत्पाद जिसकी बाबत ध्यान में लाए गए आयात में वृद्धि
- खंड 3 बढ़ा हुआ आयात
- खंड 4 घरेलू उत्पादन
- खंड 5 क्षति
- खंड 6 क्षति का कारण
- खंड 7 प्रस्तुत किया जाना
- खंड 8 उपाबंध

खंड 1 : साधारण सूचना

- 1. आवेदन की तारीख
- 2. आवेदक, (आवेदकों) का नाम (नामों) और पता (पतों) प्रदान करें
- 3. समान या प्रत्यक्ष प्रतियोगी उत्पादनों के घरेलू उत्पादक जिनके निमित्त आवेदन फाइल किया गया है (सभी घरेलू उत्पादकों का ब्यौर दें जो उनके आई ई सी के साथ आवेदन का समर्थन करते हैं, जहां लागू है)
- 4. समान या प्रत्यक्ष रुप से प्रतियोगी उत्पाद द्वारा गणना के लिए उत्पादन पर सूचना (उन घरेलू उत्पादकों की बाबत जो आवेदन का समर्थन करते हैं ।
- 5. समान या प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी उत्पादों के संबद्ध उत्पाद के कुल घरेलू उत्पादन पर सूचना (सभी उत्पादकों की बाबत चाहे वे आवेदन का समर्थन करते हों या नहीं)

खंड 2 : उत्पाद जिसकी बाबत अभिकथित आयातों में वृद्धि होती है

- 1. उत्पाद का नाम
- 2. वर्णन : उत्पाद का पूरा विवरण प्रदान करें जिसमें रलायनिक फार्मूला, श्रेणी संघटक सामग्री/संघटक, संक्षेप में विनिर्माण की प्रक्रिया, उपयोग और विभिन्न श्रेणियों की अंतर परिवर्तनशीलता आदि सम्मिलित है।
- टैरिफ वर्गीकरण: 6/8/10 अंक स्तर पर भारतीय सीमा शुल्क टैरिफ वर्गीकरण के साथ-साथ एचएस वर्गीकरण के अधीन उत्पाद का वर्गीकरण प्रदान करें।

- आयात शुल्क : पिछले तीन वर्ष के दौरान उद्ग्रहीत आयात शुल्क की दरों से संबंधित सूचना प्रदान करें । यदि उत्पाद कोई रियायती या अधिमान व्यवहार प्राप्त करता है, ब्यौरा प्रदान करें ।
- 5. उद्भव का (के) देश: उद्भव का उन देश (देशों) के नाम प्रदान करें जहां उत्पाद उद्भूत हुआ है (जहां उद्भव का देश निर्यात के देश से भिन्न हैं, तो उद्भव के देश का नाम भी दिया जाना चाहिए) ।
- 6. सभी ज्ञात विदेश उत्पादकों, निर्यातकों और आयातिक उत्पाद के आयातकर्ताओं की सूची संबद्ध व्यापार संगम और उपयोगिता संगम आदि के नामों और पतों के साथ प्रदान करें!
- मुख्य औद्योगिक उपयुक्ताओं पर सूचना, औद्योगिक उपयुक्ताओं का संगठन और प्रतिनिधि उपभोक्त संगठन (यदि उत्पाद फुटकर स्तर पर सामान्य रुप से विक्रीत है)
- 8. निर्यात कीमत : आयातिक उत्पाद निर्यातकर्ता/देशवार की निर्यात कीमत का ब्यौरा और उसके आधार (एफओबी/सीआईएफ कीमत जिस पर माल भारत में प्रवेश करता है, प्रदान करें।

खंड 3: बढ़ा हुआ आयात l

- मात्रा के निबंधनों में उक्त उत्पाद के आयातों के विषय में पूर्ण और विस्तृत सूचना प्रदान करें और अंतिम तीन वर्ष (या अधिक) के लिए वर्षवार मूल्यांकन करें ।
- 2. सापेक्ष निबंधनों साथ ही साथ उक्त उत्पाद के कुल आयातों में उपरोक्त (1) का देशवार ब्यौरा प्रदान करें !
- 3. आयातित उत्पादों के शेयर पर पूर्ण और विस्तृत जानकारी प्रदान करें और समान उत्पाद के घरेलू उत्पादन के शेयर की जानकारी प्रदान करें और पिछले तीन वर्ष (या इससे अधिक के लिए (प्रतियोगी मात्रा और मूल्य दोनों के निवंधनों में कुल घरेलू खपत में) प्रत्यक्ष रूप से प्रतियोगी उत्पादों की विस्तृत सूचना प्रदान करें ।
- 4. उन कारकों के बारे में जानकारी प्रदान करें जिनका बढ़े हुए प्रतियोगी आयातों के बारे में योगदान हो सकता है।

खंड 4: घरेलू उत्पादन

- घरेलू उत्पादकों द्वारा उत्पादित प्रत्यक्ष रुप से प्रतियोगी उत्पादकों के समान अंतिम उत्पाद के ब्यौरे । उपरोक्त 2 के अनुसार वैसी वैसी ही सूचना, अर्थात्
 - i. नाम
 - ii. वर्णन

- iii. केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के अधीन साथ ही साथ सीमा शुल्क टैरिफ के अधीन दोनों टैरिफ वर्गीकरण
- iv. घरेलू उत्पादकों के ब्यौरे
- 2. सभी ज्ञात घरेलु उत्पादकों और संबद्ध व्यापार संगमों और उपयोक्ता संगमों आदि के नाम और पते ।
- 3. उपरोक्त 2 पर प्रत्येक द्वारा गणना में किए गए उत्पादन के ब्यौरे ।
- कुल घरेलू उत्पादन के ब्यौरे
- संस्थित क्षमता, क्षमता उपयोग और क्षमता उपयोग में गिरावट आदि

खंड 5: क्षति या क्षति की आशंका

- 1. घरेलू उद्योग पर बढ़े हुए आयात का समाधात : कैसे बढ़ा आयात घरेलू उद्योग को गंभीर क्षिति या गंभीर क्षिति की आशंका प्रदान कर रहा है, पर विस्तृत सूचना । इसमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित पर सूचना सिम्मिलित होनी चाहिए -
- (क) विक्रय मात्रा, कुल घरेलू खपत और घरेलू उत्पादन का गाजार शेयर कैसे प्रभावी हुआ है ।
- (ख) कम कीमत/कीमत हास/कीमतों में बढ़ोतरी को रोकनः । उत्पादन पर लागतों की सूचना और कैसे बढ़े हुए आयातों ने घरेलू उत्पाद की कीमतों को प्रभावित किया है आवश्यक रूप से प्रदान की जाएं।
- (ग) आंकड़ा उपदर्शित करने वाले संयंत्र की बंदी या समान उत्पादन उपयोग क्षमता में गिरावट सहित उद्योग में उत्पादन सुविधाओं का महत्वपूर्ण रूप से निष्क्रिय रहना
- (घ) नियोजन की हानि
- (ड) वित्तीय प्रास्थिति
 - विक्रय में कमी, बढ़ती तालिका, उत्पादन, लाभों में रंगेरावट का रुझान या बढ़ती बेरोजगारी पर सूचना सहित घरेलू उद्योग की वित्तीय स्थिति पर पूर्ण सूचना प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।
- 2. क्षिति के अन्य कारक : किसी अन्य कारक का ब्यौरा प्रदान करें जो घरेलु उद्योग को क्षिति पहुंचाते हैं और एक स्पष्टीकरण कि इन अन्य कारकों द्वारा आयातों द्वारा कारित क्षिति में योगदान नहीं किया गया है (पाटन या सहायिकी के कारण हुई क्षिति पर सूचना, यदि कोई है यहां विनिर्दिष्ट रूप से प्रदान किए जने की आवश्यकता है । यह भी उल्लेख करें यदि प्रतिपाटन या प्रतिशुल्क अन्वेषण के लिए कोई आवेदन फाइल किया गया है)

खंड 6: क्षति का कारण

कृपया बढ़े हुए आयातों चाहे वास्तविक हों या घरेलू उत्पादन के सापेक्ष हों, के बीच संबंध सामने लाने वाले उपरोक्त प्रस्तुत किए गए आंकड़े का विश्लेषण प्रदान करें और क्षति या घरेलू उद्योग को कारित क्षति की आशंका और सुरक्षा उपाय (परिमाणात्मक निर्बंधन) नियम, 2012 के अधीन सुरक्षा अन्वेषण के आरंभ किए जाने के अनुरोध के लिए आधार ।

खंड 7: प्रस्तुत किया जाना

- क अनुरोध किए गए उपाय वर्णित करने वाला एक विवरण जिसमें निष्नितिखित सम्मिलित है :
 - अनुरोध किए गए सुरक्षा परिमाणात्मक निर्बंधन की प्रकृति और मात्रा ।
 - अनुतोष चाहने के लिए प्रयोजन और कैसे ऐसे उद्देश्य प्राप्त किए जाएंगे ।
 - वह अविध जिसके लिए सुरक्षा परिमाणात्मक निर्वंधन के अधिरोपण का अनुरोध किया
 गया है और इसलिए उसके कारण ।
 - ख यदि एक वर्ष या उससे अधिक के लिए अधिरोपित किए जाने वाले सुरक्षा उपायों के लिए अनुरोध किया जाता है तो किए गए कृत्यों का और कार्यान्वित की जाने वाली योजनाओं या दोनों पर उद्योग के सार्थक समायोजन को सुकर बनाने के लिए पर्याप्त प्रगतिशील उदारीकरण के ब्यौर सहित आयात प्रतियोगिता के लिए सार्थक समायोजन करने के लिए ब्यौरा ।

खंड 8: उपाबद्ध

सभी सहायक सूचनाएं आवेदन में उपाबद्ध के रूप में प्रदान की जा सकती है (मुख्य सूचना समुचित स्थानों पर देनी चाहिए । सूचना के ब्यारे उपाबद्ध में प्रदान किए जा सकते हैं) ।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th May, 2012

GS.R. 381(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9A of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act 1992 (22 of 1992), the Central Government hereby makes the following rules, namely .--

- 1. Short title and commencement (1) These rules may be called the Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. Definitions .-- (1) In these rules, unless the context otherwise requires, --
 - (a) "Act" means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (22 of 1992);
 - (b)"Authorised Officer" means the Authorised Officer designated as such under sub-rule(1) of rule 3;
 - (c) "increased quantity" includes increase in import whether in absolute terms or relative to domestic production;
 - (d) "interested party" includes -
 - (i) an exporter or foreign producer or the importer of goods (which is subject to investigation for purposes of imposition of safeguard quantitative restrictions) or a trade or business association, majority of the members of which are producers, exporters or importers of such goods;
 - (ii) the Government of the exporting country; and
 - (iii) a producer of the like goods or directly competitive goods in India or a trade or business association, a majority of members of which produce or trade the like goods or directly competitive goods in India;
 - (e) "like goods" means goods which is identical or alike in all respects to the goods under investigation, or in the absence of such goods, other goods which has characteristics closely resembling those of the goods under investigation;

- (f) "quantitative restrictions" means any specific limit on quantity of goods imposed as a safeguard measure under the Act;
- (g) "specified country" means a country or territory which is a member of the World Trade Organization and includes the country or territory with which the Government of India has an agreement for giving it the most favoured nation treatment;
- (2) The words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.
- 3. Responsibility of Authorised Officer for making enquiry in respect to safeguard quantitative restrictions .— (1) The Central Government shall, by notification in the Official Gazette, designate an officer not below the rank of Additional Director General of Foreign Trade as an Authorised officer for making investigation for the purpose of this rules.
 - (2) The Authorised Officer shall be responsible for conducting investigation, under subsection (1) of section 9A, for the purpose of imposition of safeguard quantitative restrictions and making necessary recommendation therein to the Central Government.
 - (3) The Directorate General of Foreign Trade shall provide secretarial support and the services of such other persons and such other facilities as it deems fit.
- 4. Duties of Authorised Officer .-- It shall be the duty of the Authorised Officer --
 - (a) to investigate the existence of serious injury or threat of serious injury to domestic industry as a consequence of increased import of a goods into India;
 - (b) to identify the goods liable for quantitative restrictions as a safeguard measure;
 - (c) to submit its findings, to the Central Government as to the serious injury or threat of serious injury to domestic industry consequent upon increased import of goods into India from the specified country;
 - (d) to recommend--
 - (i) the nature and extent of quantitative restrictions which, if imposed, shall be adequate to remove the serious injury or threat of serious injury to the domestic industry; and
 - (ii) the duration of imposition of safeguard quantitative restrictions and where the period so recommended is more than one year, to recommend progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment; and
 - (e) to review the need for continuance of the safeguard quantitative restrictions.

- 5. Initiation of investigation.--- (1) The Authorised Officer shall, on receipt of a written application by or on behalf of the domestic producer of like goods or directly competitive goods, initiate an investigation to determine the existence of serious injury or threat of serious injury to the domestic industry, caused by the import of a goods in such increased quantities, absolute or relative to domestic production.
 - (2) The application referred to in sub-rule (1) shall be made in Form appended to these rules and be supported with-
 - (a) the evidence of -
 - (i) increased imports as a result of unforeseen development;
 - (ii) serious injury or threat of serious injury to the domestic industry; and
 - (iii) a causal link between imports and the alleged serious injury or threat of serious injury;
 - (b) a statement on the efforts being taken, or planned to be taken, or both, to make a positive adjustment to increase in competition due to imports; and
 - (c) a statement mentioning whether an application for the initiation of a safeguard action on the goods under investigation has also been submitted to the Director General of Safeguards, Department of Revenue.
 - (3) The Authorised Officer shall not initiate an investigation pursuant to an application made under sub-rule (1), unless, it examines the accuracy and adequacy of the evidence provided in the application and satisfies himself that there is sufficient evidence regarding--
 - (a) increased imports;
 - (b) serious injury or threat of serious injury; and
 - (c) a causal link between increased imports and alleged serious injury or threat of serious Injury.
 - (4) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), the Authorised Officer may initiate an investigation suo mofo, if, it is satisfied with the information received from any source that sufficient evidence exists as referred to in clause (a), clause (b) or clause (c) of sub-rule (3).
- **6. Principles governing investigations.** (1) The Authorised Officer shall, after it has decided to initiate investigation to determine serious injury or threat of serious injury to domestic industry, consequent upon the increased import of a goods into India, issue a public notice notifying its decision which, inter alia, contain information on the following, namely:-
 - (a) the name of the exporting countries, the goods involved and the volume of import;

- (b) the date of initiation of the investigation;
- (c) a summary statement of the facts on which the allegation of serious injury or threat of serious injury is based;
- (d) reasons for initiation of the investigation;
- (e) the address to which representations by interested parties should be directed; and
- (f) the time-limits allowed to interested parties for making their views known.
- (2) The Authorised Officer shall forward a copy of the public notice to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and other Ministries concerned, known exporters of the goods, the Governments of the exporting countries concerned and other interested parties.
- (3) The Authorised Officer shall also provide a copy of the application referred to in sub-rule (1) of rule 5, to--
 - (a) the known exporters, or the concerned trade association;
 - (b) the Governments of the exporting countries; and
 - (c) the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry:

Provided that the Authorised Officer shall also make available a copy of the application, upon request in writing, to any other interested person.

(4) The Authorised Officer may issue a notice calling for any information in such form as may be specified in the notice from the exporters, foreign producers and governments of exporting countries and such information shall be furnished by such persons and governments in writing within thirty days from the date of receipt of the notice or within such extended period as the Authorised Officer may allow on sufficient cause being shown.

Explanation.—For the purpose of this rule, the public notice and other documents shall be deemed to have been received one week after the date on which these documents were put in the course of transmission to the interested parties by the Authorised Officer.

- (5) The Authorised Officer shall provide opportunity to the industrial user of the goods under investigation and to representative consumer organisations in cases where the goods is commonly sold at retail level to furnish information which is relevant to the investigation including *inter alia*, their views if imposition of safeguard quantitative restrictions is in public interest or not.
- (6) The Authorised Officer may allow an interested party or its representative to present the information relevant to investigation orally but such oral information shall be taken into consideration by the Authorised Officer only when it is subsequently submitted in writing.

- (7) The Authorised Officer shall make available the evidence presented to it by one interested party to all other interested parties, participating in the investigation.
- (8) In case where an interested party refuses access to or otherwise does not provide necessary information within a reasonable period or significantly impedes the investigation, the Authorised Officer may record its findings on the basis of the facts available and make such recommendations to the Central Government as it deems fit under such circumstances.
- 7. Confidential information .-- (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (1), (3) and (7) of rule 6, and sub-rule (5) of rule 9, any information which is by nature confidential or which is provided on a confidential basis shall, upon cause being shown, be treated as such by the Authorised Officer and not be disclosed without specific authorisation of the party providing such information.
 - (2) The Authorised Officer may require the parties providing information on confidential basis to furnish non confidential summary thereof and if, in the opinion of the party providing such information, such information cannot be summarised, such party may submit to the Authorised Officer a statement of reasons why summarisation of such information is not possible.
 - (3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the Authorised Officer is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is unwilling either to make the information public or to authorise its disclosure in a generalised or summary form, it may disregard such information unless it is demonstrated to its satisfaction from appropriate sources that such information is correct.
- 8. Determination of serious injury or threat of serious injury.— The Authorised Officer shall determine serious injury or threat of serious injury to the domestic industry taking into account, inter alia, the following principles, namely:-
 - (a) in the investigation to determine whether increased imports have caused or are threatening to cause serious injury to a domestic industry, the Authorised Officer shall evaluate all relevant factors of an objective and quantifiable nature having a bearing on the situation of that industry in particular, the rate and amount of the increase in imports of the goods concerned in absolute and relative terms, the share of the domestic market taken by increased imports, changes in the level of sales, production, productivity, capacity utilisation, profits and losses, and employment; and
 - (b) the determination referred to in clause (a) shall not be made unless the investigation demonstrates, on the basis of objective evidence, the existence of the causal link between increased imports of the goods concerned and serious injury or threat thereof:

Provided that when factors other than increased imports are causing injury to the domestic industry at the same time, such injury shall not be attributed to increased

imports and in such cases, the Authorised Officer may refer the complaint to the authority for anti-dumping or countervailing duty investigations, as appropriate.

- 9. Final findings.-- (1) The Authorised Officer shall, within eight months from the date of initiation of the investigation or within such extended period as the Central Government may allow, determine whether, as a result of unforeseen developments the increased imports of the goods under investigation has caused or threatened to cause serious injury to the domestic industry, and a casual link exists between the increased imports and serious injury or threat of serious injury and recommend --
 - (i) the extent and nature of quantitative restrictions which, if imposed, would be adequate to prevent or remedy 'serious injury' and to facilitate positive adjustment, as the case may be:
 - (ii) the extent of quantitative restrictions so that the quantity of imports is not reduced to the quantity of imports below the level of a recent period which shall be the average of import in the last three representative years for which statistics are available and justification if a different level is necessary to prevent or remedy serious injury;
 - (iii) the quota to be allocated among the supplying countries, and the allocation of shares in the quota for such specified countries which have a substantial interest in supplying the goods;
 - (iv) the duration of imposition of quantitative restrictions and where the duration of imposition of quantitative restrictions is more than one year, the progressive liberalisation adequate to facilitate positive adjustment.
 - (2) The final findings if affirmative shall contain all information on the matter of facts and law and reasons which have led to the conclusion.
 - (3) The Authorised Officer shall issue a public notice recording his final findings.
 - (4) The Authorised Officer shall send a copy of the public notice regarding his final findings to the Central Government in the Ministry of Commerce and Industry and a copy thereof to the interested parties.
- 10. Imposition of safeguard quantitative restrictions.-- The Central Government may based on the recommendation of the Authorised Officer, by a notification in the Official Gazette, under sub-section (I) of section 9A of the Act, impose upon importation into India of the goods covered under the final determination, a safeguard quantitative restrictions not exceeding the amount or quantity which has been found adequate to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.

- 11. Imposition of safeguard quantitative restrictions on non-discriminatory basis.-- Any safeguard quantitative restrictions imposed on goods under these rules shall be applied on a non-discriminatory basis to all imports of the goods irrespective of its source.
- 12. Date of commencement of safeguard quantitative restrictions.-- The safeguard quantitative restrictions levied under these rules shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, imposing such quantitative restrictions.
- **13. Duration** —(1) The safeguard quantitative restrictions imposed under rule 10 shall be for such period of time as may be necessary to prevent or remedy serious injury and to facilitate adjustment.
 - (2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1), safeguard quantitative restrictions imposed under rule 10 shall, unless revoked earlier, cease to have effect on the expiry of four years from the date of its imposition:

Provided that if the Central Government is of the opinion that the domestic industry has taken measures to adjust to such serious injury or threat thereof and it is necessary that the safeguard quantitative restrictions should continue to be imposed, to prevent such serious injury or threat and to facilitate adjustments, it may extend the period beyond four years:

Provided further that in no case the safeguard quantitative restrictions shall continue to be imposed beyond a period of ten years from the date on which such restrictions were first imposed.

- 14. Liberalization of safeguard quantitative restrictions. -- If the duration of the safeguard quantitative restrictions imposed under rule 10 exceeds one year, the restriction shall be progressively liberalised at regular intervals during the period of its imposition.
- **15**. **Review.**—(1) The Authorised Officer shall, from time to time, review the need for continued imposition of the safeguard quantitative restrictions and shall, if, it is satisfied on the basis of information received that --
 - (a) safeguard quantitative restrictions is necessary to prevent or remedy serious injury and there is evidence that the industry is adjusting positively, it may recommend to the Central Government for the continued imposition of quantitative restrictions;
 - (b) there is no justification for the continued imposition of such restriction; recommend to the central Government for its withdrawal:

Provided that where the period of imposition of safeguard quantitative restrictions exceeds three years, the Authorised Officer shall review the situation not later than the midterm of such imposition, and, if appropriate, recommend for withdrawal of such

safeguard quantitative restrictions or for the increase of the liberalisation of quantitative restrictions.

- Any review initiated under sub-rule (1), shall be concluded within a period not exceeding eight months from the date of initiation of such review or within such extended period as the Central Government may allow.
- (3) The provisions of rules 5, 6, 7 and 9 shall, *mutatis mutandis*, apply in the case of review under this rule.

[F. No. 01/92/180/106/AM 11/PC-VI/PRA]

ANUP K. PUJARI, Director Gener. 1 of Foreign Trade

FORM

[See rule 5(2))]

Information to be provided by Applicant for Safeguard Investigation

Table of Contents

Section 1 General Information

Section 2 Product in respect of which Increase in Imports Noticed

Section 3 increased Imports

Section 4 Domestic Production

Section 5 Injury

Section 6 Cause of Injury

Section 7 Submissions

Section 8 Annexes

Section 1: General Information

- 1. Date of Application
- 2. Applicant(s) Provide name(s) and address(es) of the applicant(s)

- Domestic Producers of the like or directly competitive products on whose behalf the application is filed (Give details of all domestic producers who support the application) along with their IEC, where applicable)
- Information on production accounted for by the domestic producers of the like or directly competitive products (in respect of those domestic producers who support the application).
- 5. Information on the total domestic production of the product concerned of the like or directly competitive products (in respect of all producers whether they support the application or not).

Section 2: Product in respect of which increase in imports alleged

- 1. Name of the product
- Description: Provide full description of the product including chemical formula, grade constituent materials / Components, process of manufacture in brief, uses and interchangeability of various grades, etc.
- 3. Tariff classification: Provide the classification of the product under the HS classification as well as Indian customs Tariff Classification at 6/8/10 digit level
- Import Duty: Provide information relating to rates of import duty levied during the past three
 years. If the product enjoys any concessional or preferential treatment, provide details.
- Country(ies) of Origin: Provide name(s) of country(ies) where the product has originated (where
 the country of origin is different then the country of export, the name of the country of origin
 should also be provided).
- Provide a list of all known foreign producers, exporters & importers of the imported product, country-wise, together with names and addresses of concerned trade associations and user associations etc.
- 7. Information on major industrial users, organization of industrial users and representative consumer organisations. (In case the product is commonly sold at retail level).
- 8. Export Price: Details of export price of the imported Product exporter / country-wise and the basis thereof (provide the f.o.b. / c.i.f. price at which the goods enter into India).

Section 3: Increased Imports

- Provide full and detailed information regarding the imports of the said product in terms of quantity and value year wise for the last three years (or longer).
- 2. Provide break up of (1) above country wise in absolute terms as well as a percentage of the total imports of the said product.
- Provide full and detailed information on the share of the imported products and the share of the domestic production of the like product and the directly competitive products in the total domestic consumption for the last three years (or longer) both in terms of quantity and value.

4. Provide information on factors that may be attributing to increased imports.

Section 4: Domestic Production

- Details of the like product end directly competitive products produced by the domestic producers. Information similar to II above i.e.
 - i. Name
 - ii. Description
 - iii. Tariff classification both under the Central Excise Tariff as well as under the Customs Tariff.
 - iv. Details of domestic producers
 - Names and addresses of all known domestic producers and concerned trade associations and users associations etc.
 - 3. Details of production accounted for by each of the producers at 2 above.
 - 4. Details of total domestic production.
 - 5. Installed capacity, capacity utilization and fall in capacity utilization etc.

Section 5: Injury or Threat of Injury

- Impact of increased imports on Domestic Industry: Detailed information on how the increased imports are causing serious injury or threat of serious injury to the domestic industry. This should, inter alia, include information on
 - Sale volumes, total domestic consumption and how the market share of domestic production has been affected.
 - b. Price undercutting / price depression / prevention of rise in prices. Information on costs of production and how the increased imports have affected the prices of domestic production needs to be provided.
 - c. Any significant idling of production facilities in the industry including data indicating plant closure or fall in normal production capacity utilization.
 - d. Loss of employment
 - e. Financial situation

Full information on the financial situation of the domestic industry including information on decline in sales, growing inventory, downward trend in production, profits, productivity or increasing unemployment needs to be provided.

2. Other Factors of Injury: Provide details of any other factors that may be attributing to the injury to the domestic industry and an explanation that injury caused by these other factors is not attributed to injury caused by increased imports. (Information on injury caused due to dumping or subsidization, if any, needs to be specifically provided here. Also mention if any application for anti-dumping or countervailing duty investigation has been filed).

Section 6: Cause of Injury:

Please provide an analysis of data presented above bringing out a nexus between the increased imports, either actual or relative to domestic production, and the injury or threat of injury caused to the domestic industry and the basis for a request for initiation of safeguards investigation under Safeguard Measures (Quantitative Restrictions) Rules, 2012.

Section 7: Submission

- a. A statement describing the measure requested including:
 - Nature and quantum of safeguard quantitative restriction requested.
 - Purpose of seeking the relief and how such objective will be achieved.
 - Duration for which imposition of safeguard quantitative restriction is requested and the reasons therefore.
- b. If the safeguard measures are requested to be imposed for more than one year, details on efforts being taken and planned to be taken or both to make a positive adjustment to import competition with details of progressive liberalization adequate to facilitate positive adjustment of the industry.

Section 8: Annexes

All supporting information can be provided as annexes to the application. (The main information must be provided at the appropriate places. The details of the information can be provided in annexes).